प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 22 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 27 – 03 जून 2019 मूल्य पांच रूपए

अनुराग के वित्त राज्य मन्त्री बनने से प्रदेश की राजनीति में नये समीकरणों का उभरना तय

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री बन गये हैं। वह वित्त मंत्री सीतारमण के साथ काम करेंगे। वित्त मन्त्रालय में मन्त्री के साथ वह अकेले राज्य मंत्री हैं। भारत सरकार सचिवालय की कार्य प्रणाली की समझ रखने वाले जानते हैं कि गृह और वित्त दो ऐसे मन्त्रालय हैं जहां पर बहुत सा काम राज्य मंत्री के स्तर पर ही निपटा दिया जाता है। इन मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री एक तरह से स्वतन्त्र प्रभार वाले राज्य मन्त्रीयों से ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं क्योंकि हर मन्त्रालय में संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी तैनात रहता है जो अपने सचिव को रिपोर्ट करने की बजाये सीधे वित्त सचिव को ही रिपोर्ट करता है। इस तरह हर मन्त्रालय के कामकाज की सूचना वित्त मन्त्रालय के पास आ जाती है। इस कार्य प्रणाली से स्पष्ट हो जाता है कि अनुराग ठाकुर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवदेनशील जिम्मेदारी दी गयी है। माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को यह जिम्मेदारी उनके क्रिकेट के क्षेत्र मे किये गये काम के आधार पर दी गयी है। उम्मीद की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश जिस तरह के कर्ज के चक्रव्यूह में फंस चुका है उससे उबरने में अनुराग प्रदेश की मद्द करेंगे और सरकार के अनुपादक खर्चो पर भी लगाम लगायेंगे क्योंकि भारत सरकार का वित्त मन्त्रालय प्रदेश सरकार को इस संद्धर्भ में मार्च 2016 में ही पत्र लिखकर चेतावनी दे चुका है।

अनुराग की नियुक्ति के इस पक्ष से हटकर इसका राजनीतिक पक्ष प्रदेश के संद्धर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुराग लगातार चौथी बार सांसद चुने गये हैं इस नाते संसदीय वरीयता के आधार पर वही मन्त्री पद के दायरे में आते थे क्योंकि पूर्व केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री और प्रदेश के राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा का नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिये चर्चा में आ गया है। लेकिन इस सब के बावजूद प्रदेश के भाजपा नेतृत्व का एक बड़ा वर्ग अनुराग के स्थान पर कांगड़ा के सांसद किश्न कपूर को मन्त्री बनाये जाने का प्रयास कर रहा था। चर्चा है कि इस प्रयास को अपरोक्ष में कांग्रेस के वीरभद्र खेमे का भी पूरा सहयोग रहा है। क्योंकि वीरभद्र शासन में एचपीसीए को लेकर जिस तरह का राजनीतिक वातावरण प्रदेश में खड़ा हो गया था उसमें सभी जानते हैं कि उस दौरान विजिलैन्स के पास एचपीसीए और धूमल के आय से अधिक संपति मामले से हटकर और कोई मामला ही नही रह गया था। बल्कि वीरभद्र सिंह के अपने खिलाफ आय से अधिक संपति का मामला उनके केन्द्रिय मंत्री रहते ही खड़ा हो गया था और आज तक चल रहा है। उसके लिये वीरभद्र सीधे तौर पर अरूण जेटली, प्रेम कुमार धूमल तथा अनुराग ठाकुर को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। यहां तक की दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायधीश के खिलाफ तो आनन्द चौहान और वीरभद्र लिखित में गंभीर आक्षेप लगा चुके हैं। प्रदेश की इस राजनीतिक पृष्ठभूमि की जानकारी रखने वाले अनुमान लगा सकते हैं कि इस परिदृश्य मे अनुराग के वित्त राज्य मन्त्री बनने के राजनीतिक अर्थ क्या हो सकते हैं। क्योंकि यह आम चर्चा रही है कि मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर के साथ वीरभद्र सिंह के राजनीतिक रिश्ते बहुत घनिष्ठ हैं। बल्कि जब वीरभद्र ने सितम्बर 2018 में ही मण्डी सीट से कांग्रेस का कोई भी मकरझण्डू चुनाव लड़ लेगा का ब्यान दिया था तभी से वीरभद्र के राजनीतिक इरादे चर्चा में आने शुरू हो गये थे जो ब्यानों में चुनावों के अन्त तक बने रहे।

बल्कि राजनीतिक विश्लेष्कों का तो यहां तक मानना है कि जंजैली प्रकरण में जहां वीरभद्र शासन के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये था वहां ऐसा न होकर इसमें धूमल की भूमिका होने का आरोप लग गया था। इस आरोप पर धूमल को सीआईडी जांच करवाने तक का ब्यान देना पड़ा था इस तरह का राजनीतिक आचरण प्रदेश में घट चुका है और इसी आचरण का परिणाम था कि इस चुनाव में कई नेताओं की भूमिका सवालों में रही है। इसी के प्रभाव तले एक बड़ा वर्ग यह प्रयास कर रहा था कि अनुराग की जगह किशन कपूर मन्त्री बन जायें। लेकिन यह प्रयास सफल नही हो सके हैं। परन्तु राजनीति में इस तरह के घटनाक्रमों के दूरगामी प्रभाव और परिणाम होते हैं। आज जिस ऐज और स्टेज पर अनुराग को वित्त राज्य मंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गयी है उसे उनके प्रदेश का भविष्य का नेता होने की ट्रेनिंग के रूप में देखा जा रहा है। इस नियुक्ति के साथ ही प्रदेश की राजनीति में नये समीकरणों के उभरने का अध्ययन शुरू हो जायेगा यह तय है।

सचेतक विधेयक को उच्च न्यायालय में दी गयी चुनौती-सरकार और बरागटा को नोटिस जारी

शिमला/शैल। जयराम सरकार के पहले ही बजट के अन्तिम दिन पारित किये गये सचेतक विधेयक को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गयी है। कार्यकारी मुख्य न्यायधीश धर्मचन्द चौधरी और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल की खण्डपीठ ने इसमें सरकार और बरागटा को नोटिस जारी कर दिये हैं। स्मरणीय है कि इस विधेयक के माध्यम से मुख्य सचेतक और उप सचेतक को मन्त्री, व राज्य मंत्री का दर्जा तथा उन्ही के समकक्ष वेतन भत्ते और अन्य सुविधायें देने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक बन जाने के बाद विधायक नरेन्द्र बरागटा को मुख्य सचेतक नियुक्त कर दिया गया था। बल्कि मुख्य सचेतक बन जाने के बाद उन्हें सरकार के कार्यक्रम जन मंच का संयोजक भी बना दिया गया है। बरागटा की इस नियुक्ति को नियमों के विरूद्ध करार देते हुए चुनौती दी गयी है। कांग्रेस और माकपा ने सदन में इस विधयेक का विरोध किया था।

संसद में 1998 में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेता और उनके द्वारा नियुक्त किये गये सचेतकों को क्या सुविधायें दी जानी चाहिये इस आश्य का बिल आया था। 1999 में यह पारित हुआ और 2000 से लागू हो गया था। लेकिन इस विधेयक में इन्हे मन्त्री का दर्जा नही दिया

गया है। भारत में सचेतक की प्रथा ब्रिटिश शासन से ली गयी। इसमें सचेतक को इस तरह परिभाषित किया गया है कि Every major political party appoints a whip who is responsible for the party's discipline and behaviour on the floor of the house. Usually, he /she directs theparty members to stick to the party's stand on certain issuesand directs them to vote as per the directions of the senior party members. इससे स्पष्ट हो जाता है कि सचेतकों का काम अपनी - अपनी पार्टी के विधायक दलों के प्रति ही है। दल बदल निरोधक कानून बन जाने के बाद सचेतक के निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबधित सदस्य के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कारवाई की जा सकती है यदि दल चाहे तो। दल की ईच्छा के बिना यह कारवाई नही हो सकती है। इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि सचेतक की सारी भूमिका अपने दल तक ही सीमित हैं इसमें यह भी अनिवार्य नही है कि मान्यता प्राप्त दल को सदन के अन्दर सचेतक नियुक्त करना ही होगा वरना उसके खिलाफ कोई कारवाई हो सकती है। इस तरह सचेतक विधायक दलों का अन्दरूनी मामला है इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या कोई राजनीतिक दल चाहे वह सत्तारूढ़ ही क्यों न हो सरकार के पैसे से अपनी पार्टी का काम करवा सकता हैं।क्योंकि सचेतक विधानसभा या सरकार का अधिकारी नही है। सचेतक पद का सजृन सरकार या विधासभा नही करती है। क्योंकि किसी पद का सजृन करना और किसी व्यक्ति को कोई मान सम्मान देना दो अलग- अलग स्थितियां है।

इस परिदृश्य में ही बरागटा की नियुक्ति को चुनौती दी गयी है क्योंकि उन्हें मुख्य सचेतक बनने के बाद ही जन मंच कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया और सरकारी कोष से वेतन भत्ते दिये गये हैं। ऐसे में कल को यदि उच्च न्यायालय सचेतक को मन्त्री का दर्जा और वेतन भत्ते देने को निरस्त कर देता है तब बरागटा लाभ के पद के दायरे में भी आ जायेंगें यदि ऐसा होता है तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे इससे उनकी सदन की सदस्यता तक पर आंच आ सकती है।

शिक्षा, स्वास्थ्य व संस्कार ही बनाते हैं व्यक्ति को संपूर्णः आचार्य देवव्रत

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य व संस्कार ही व्यक्ति को संपूर्ण बनाते हैं और डीएवी संस्थाओं ने संस्कृति, सभ्यता परंपरा और वेद की विचारधारा को आगे बढ़ाकर प्रबुद्ध समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के चहुंमुखी विकास व उसे संस्कारित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है तथा संस्कार बिना शिक्षा अधूरी है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षित व्यक्ति वही है जो दूसरों के हृदय के स्पंदन और दूसरों के दुःख को अपने भीतर अनुभव करता हो। उन्होंने विद्यार्थियों से आहवान किया कि वे सत्य व जनकल्याण का रास्ता कभी न छोड़ें और देश, समाज व परिवार की यश कीर्ति को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि डीएवी संस्था ने देश में आर्य समाज के विचार और संस्कारित शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और लोग आज भी डीएवी संस्थान में अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित समझते हैं।

उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में ही यदि बच्चों को सही लक्ष्य के लिए उचित मार्गदर्शन उपलब्ध हो जाए तो वे जीवन में सफलता को आसानी से हासिल कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जीवन में बड़ा लक्ष्य तय करके उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत व लगन से निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। शैक्षणिक पाठयक्रम के साथ-साथ विद्यार्थियों को नैतिक मूल्य पर आधारित शिक्षा भी प्रदान किया जाना समय की मांग है।

राज्यपाल ने कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र है और अगर हमारे युवा अपने कर्तव्य को समझें तो वे एक बेहतर व स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान की विश्वसनीयता वहां से शिक्षा ग्रहण कर चुके विद्यार्थियों के आंकलन से होती है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। यह कोई व्यापार नहीं है बल्कि मानव और राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य है।

उन्होंने गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देते हुए जीवन मूल्यों को बनाए रखने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान का मूल उद्देश्य बच्चों को सुशिक्षित बनाना है, जिनमें विज्ञान और तकनीकी की पूर्ण जानकारी हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और वे संस्कारित बनें।

उन्होंने इस अवसर पर डीएवी कॉलेज के मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रियां भी प्रदान की। डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. पवन शर्मा ने शाल व स्मृति चिन्ह भेंट कर राज्यपाल आचार्य देवव्रत का अभिनंदन किया। उन्होंने डीएवी कॉलेज की उपलब्धियों का विवरण भी प्रस्तुत किया।

मंडी, अर्की और मुबारकपुर में की जाएगी एसडीआरएफ की स्थापना:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव बी. के. अग्रवाल की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) की 9वीं बैठक आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदाओं के समय त्वरित और कुशल प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की तर्ज पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना करेगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से देश के सबसे अधिक संवेदनशील राज्यों में से एक है। मौसम संबंधी प्राकृतिक आपदाओं में सम्बन्धित खतरों, ओलावृष्टि, सूखा और बादल फटने के अलावा राज्य में विभिन्न खतरों जैसे भू-गर्भीय खतरे, भूकंप, भूस्खलन और हिमस्खलन के खतरों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आपदा और आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की कम्पनियों से युक्त राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का गठन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मंडी, अर्की और मुबारकपुर में एसडीआरएफ की स्थापना की जाएगी और आपदा के समय प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रत्येक में 100 जवानों की तीन कंपनियां होंगी। आपदाओं में कमी लाने के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की।

उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ प्रदेश सरकार राजस्व विभाग व आपदा प्रबंधन के पर्यवेक्षण के तहत गठित होगा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर स्वयं सेवकों को आपदा की स्थिति में सहायता करने के लिए तैयार करने पर बल दिया। विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में जागरूकता के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण और मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा ताकि राज्य के प्रत्येक नागरिक को आपदा के समय किसी भी घटना से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में स्थानीय लोग ही प्रथम सहायक होते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य की कार्यकारी समिति के पास राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को लागू करने की जिम्मेदारी होगी और राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करेगी। साथ ही वह किसी भी विभाग को किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति के दौरान कार्रवाई हेतु निर्देश देने के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने सभी जिला और स्थानीय अधिकारियों को आपदा के दौरान प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग मनीषा नंदा ने कहा कि विद्यालय स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए 'स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम' शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू जिलों में 200 स्कूलों में यह परियोजना लागू की गई है। इस परियोजना के तहत जिला स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और 'एससीईआरटी' ने मुख्याध्यापकों, प्रधानाचार्यों और व्याख्याताओं/पीजीटी और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, छात्रों की प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों के लिए जिला शिक्षा संस्थान और ट्रैनिंग डाईट और सरकारी कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन (जीसीटीई) की मदद से प्रशिक्षण प्रदान किया है।

उन्होंने कहा कि पहली बार 39 सम्बद्ध विभागों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है और वर्ष 2019-20 के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर पहले ही तैयार किया गया है। उसने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान बचाव और राहत के लिए विशिष्ट स्वयं सेवकों की टीमें बनाई जाएंगी।

निदेशक एवं विशेष सचिव (आपदा प्रबंधन सैल) डी.सी. राणा ने कहा कि राज्य भूकम्प की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है तथा आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आपदा प्रबन्धन सैल ने श्वेतपत्र तैयार किया है। उन्होंने कहा कि भूकम्प की पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष से एसडीएमए/डीएमसी में प्रशिक्षु लेने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न तकनीकी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन से संबंधित योग्यता प्राप्त करने वाले छात्रों को आपदा प्रबन्धन सैल द्वारा 5000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सभी बांध प्रबन्धकों को 'अर्ली वार्निंग एंड अलर्ट सिस्टम' को लागू करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए है ताकि बांध और जलाशयों से पानी छोड़े जाने पर कोई नुकसान न हो। सभी अधिकारियों को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2014 में जारी दिशा-निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

सार्वजनिक सूचना

मैं **शुभम चौहान** सुपुत्र श्री **नरेन्द्र चौहान** सर्वसाधारण को इस सूचना के माध्यम से सूचित करता हूं कि मेरा मैट्रिक का प्रमाण पत्र गुम हो गया है। यह प्रमाण पत्र **JCB Public School** न्यू शिमला द्वारा रोल नम्बर 2263962 के तहत जारी किया गया था।

इस संद्धर्भ में पुलिस थाना न्यू शिमला में एफआईआर भी दर्ज करवा दी है और शपथपत्र भी दायर कर दिया है।

शुभम चौहान

शपथपत्र

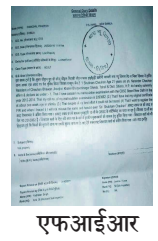

एफआईआर

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Office of the Executive Engineer, Electrical Division No.1, HPPWD, Shimla-9
Web.www.hppwd.gov.in E-mail: ee-eled1-hp@nic.in Phone/Fax No.0177-2621398
"Notice Inviting Tender"

Sealed percentage rate tenders on form No. 6 & 7 are invited by the **Executive Engineer, Electrical Division No.1, HPPWD Shimla-9** for the following works on behalf of Governor of Himachal Pradesh from approved and eligible contractors enlisted in HPPWD Electrical, so as to reach in this office on or before **01-07-2019 upto 11.00 AM** and will be opened on the same day at **11.30 AM** in the presence of the intending contractors or their authorized representatives. The tender form can be had from this office against cash payment **(Non-refundable) upto 01.00 PM on dated 29-06-2019.**

The earnest money in the shape of National Saving Certificate/Time Deposit Account/Saving Account in any of the Post Office in HP duly pledged in favour of undersigned must accompany with each tender at the time of issue of tender form. Conditional tenders and the applications for tender received without earnest money will summarily be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 90 days. The undersigned reserves the right to reject the tender without assigning any reason. It is further added that the rates be quoted both in words and figures for proper checking and to avoid any complications. No tender form will be issued to those contractors who are not registered under HP GST Act 1968. The contractors shall show their registration/renewal of enlistment to the undersigned before issue of tender forms. If the date of opening of will be holiday, the tender will be opened on the next working day at the same time.

Job.No. Name of Work	Estimated Cost	EMD	Time	Cost of Tender
1. C/O Advocate General Office Building near HP. High Court Shimla-1 (SH:- Providing & installation EPABX System thereof	Rs.4,67,900/-	94,00/-	One Month	350/-
2. Replacement of Blower contactors 'MCCB TP's Elements' & Motor's in Administrative Block High Court Building Distt. Shimla-5.	Rs.2,79,484/-	5600/-	One Month	350/-
3. C/O Primary Health Centre Building at Ghanahatti, Distt. Shimla (SH:- Providing Yard lighting therein).	Rs.1,93,008/-	3900/-	One year	350/-
4. Replacement of existing FTL, CFL conventional fixtures with energy efficient LED Luminaries in HPPWD Nirman Bhawan at Shimla (SH:- Replacement of LED in 1st 2nd, 3rd, 4th & 5th floors).	Rs.4,98,583/-	10,000/-	One Year	350/-
5. Providing Replacement of damaged cable to the campus light at Ellersllie Building HP Sectt. Shimla-2.	Rs.1,69,714/-	3400/-	Three Months	350/-
6. Providing and installing energy efficient LED Lights in place of old/ outdated at fixture in the office of Directorate of Youth Services & sports (DYSS) H.P at Shimla-2.	Rs.1,15,308/-	2300/-	Three Months	350/-
7. Special repair & Replacement of Geyser, exhaust fan, LED tubes in Type V forest colony, Type IV set No. 38,50,56,16,21, Type III set No. 81,164,1,22, 137, 54,56,109, 69,30,147,63,26,5,2 Type I set no 16,209 Type II set No. 15,9 at Kst. Mehali Brockhurst & forest Colony Khalini Shimla.	Rs.1,05,642/-	2100/-	Three Months	350/-
8. Replacement & providing of SOP cable, MCCB, MCB DP, and LED Beam Lights of Armsdale Building of HP Secretariat Shimla-2.	Rs.1,11,125/-	2300/-	Three Months	350/-
9. Replacement of tub fitting, geysers, exhaust fan, wall bracket, bed light etc in MLA Hostel Metropole set No. 501 to 503.	Rs.1,91,130/-	3900/-	Two Month	350/-
10. Replacement of tube fitting, geysers, exhaust fan, wall bracket, bed light etc in MLA Hostel Metropole set NO. 504 and 601,602.	Rs.2,03,065/-	4100/-	Three Months	350/-
11. Providing and installing energy efficient LED lights in place of old/ outdated light fixture in the record rooms of H.P Administrative Tribunal at Shimla-2.	Rs.1,18,326/-	2400/-	Three Months	350/-
12. Up gradation of LAN Set up compatible with CAT 6 in Architect Block, Nirman Bhawan, HPPWD, HQ, Nigam Vihar, Shimla (SH:- Providing LAN set up Solution- Passive Components therein).	Rs. 2,80,306/-	5600/-	Three Months	350/-
13. Replacement of E.I in Type III set No. 1,2,3,4,5,7 & 8 at Kasumpti.	Rs.3,58,836/-	7200/-	ThreeMonths	350/-
14. Providing and installing energy efficient LED lights in place of old/ outdated light fixture officer of Hon'ble Minister in Ellersile Block, H.P sect. at Shimla-2.	Rs.3,92,601/-	7900/-	Three Months	350/-
15. C/O AE office- cum Residence at Junga Distt. Shimla (SH:- Prove. E.I therein).	Rs.2,57,052/-	5200/-	Three Months	350/-
16. C/O Parking Block CUM NH & QC office Block D at Nirman Bhawan Shimla-2 (SH:- Prov. Automatic Boom-Barrier therein).	Rs.1,64,508/-	3300/-	Three Months	350/-
17. Providing and installing energy saving LED lights in place of old/ outdate light fixture in the office of Advocate General at administrable Tribunal of H.P at Shimla-2.	Rs.2,09,214/-	4200/-	Three Months	350/-
18. Providing Special Repairs to EI & LAN wiring in Art Gallery cum information center at Potter Hill.	Rs.4,18,298/-	16,400/-	Three Months	350/-
19. Replacement of Old/damaged Wires, Wiring accessories, FTL Fixtures, Geyser & other accessories in Himachal Sewa Sadan building at Sector 25 West Chandigarh.	Rs.4,99,903/-	10000/-	Three Months	350/-
20. Replacement of Old/damaged Wires, Wiring accessories, Geyser & other accessories in Himachal Sarai Bhawan at Sector 24 D Chandigarh.	Rs.4,99,779/-	10000/-	Three Months	350/-
21. Providing and installing energy saving LED lights in place of old/ outdated FTL rods in First, Second, Fifth & Sixth floor of Armsdale Block at Himachal Pradesh secretariat Shimla-2.	Rs.4,85,196/-	9700/-	Three Months	350/-
22. Providing and installing energy saving LED Panel and batten in pace of old/outdated light fixtures of Ellersllie, Armsdale & Yojna Bhawan Block at Himachal Pradesh secretariat, Shimla-2.	Rs.3,55,464/-	7100/-	Three Months	350/-
23. Annual Maintenance contract (AMC) of 2 Nos Elevators 20 passengers and 6 passenger (Kone make) Machine No. 40249588 and 40249589 installed at Himachal Sewa Sadan Sec. 25 west Chandigarh for the year 2019-2020) (period 1-08-2019 to 31-07-2020)	Rs.1,97,595/-	4000/-	One Year	350/-

Note:-i). Copy of latest Enlistment/renewal and sale tax Clearance Certificate from the excise and taxation department and copy of PAN be submitted along with application.

Adv. No.-0174/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer, Chamba Division, HPPWD Chamba H.P. on behalf of Governor of H.P. invites the items rate bids, in electronic tendering system, from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the works as detailed in the table.

Sr.No. Name of Work of	Estimated Cost (Rs.)	Starting Date for downloading Bid	Earnest Money (Rs.)	Deadline for submission of Bid	Date of Technical Bid Opening
1.Annual Maintenance of various road under Chamba Sub Division No.1 (SH:- Patch work on Masround Sandhi Mani Sirh Sarol road and Balo to behod road	10,99,263/-	7-6-2019 10.00 A.M..	22,000	24-6-2019 5.00 PM	25-6-2019 11.30 A.M.
2.Annual Maintenance of various road under Chamba Sub Division No. II (SH:- Patch work on Chamba Khajjiar road, Mangla Ohli Bharian road.	5,12,682/-	7-6-2019 10.00 A.M..	10,300/-	24-6-2019 5.00 PM	25-6-2019 11.30 A.M.

1. The tender will be accepted of those Contractors /Firms who have successfully executed minimum one similar work done of amount not less than 40% (Forty percent) of the estimated cost (Without liquidated Damage or compensation) in last five years, documentary proof for the same will have to be furnished by the Contractor.
2. The tender will be accepted of those Contractors /Firms who possess own Mini Hot Mix Plant and own Road Roller, documentary proof for the same will have to be furnished by the Contractor. No. affidavit /transfer of machinery through the process of sale/purchase will be entertained.

The bidders are advised to note other details of tenders from the department website WWW.hptenders.gov.in

The undersigned has right to extend or cancel the bids without declaring any reasons there-of.

Adv. No.-0145/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

सामान अधिनियम,1999 के भौगोलिक संकेतक के तहत हिमाचली काला जीरा और चुल्ली तेल पंजीकृत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सामान अधिनियम, 1999 के भौगोलिक संकेतक (जीआई) के तहत हिमाचली काला जीरा और हिमाचली चुल्ली तेल के पंजीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास राज्य के पारंपरिक उत्पादों के संरक्षण में काफी सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह बाजार की संभावनाओं को और बढ़ाएगा, जिसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की खेती में शामिल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण के लिए अधिसूचना संख्या-एसटीई -एफ(1)-6/2004 दिनांक 10 सितंबर, 2004 के तहत एक नीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पेटेंट सूचना केंद्र (एचपीपीआईसी) हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद को हिमाचल प्रदेश के संभावित भौगोलिक संकेतक (जीआई) की पहचान करने और जीआई अधिनियम के तहत इनका पंजीकरण करवाने के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया गया है ताकि प्रदेश के उत्पादकों/ कारीगरों के हितों की रक्षा की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआई अधिनियम के तहत इन उत्पादों का पंजीकरण होने से अनाधिकृत उत्पादन पर रोक के साथ-साथ हिमाचली काला जीरा और हिमाचली चुल्ली तेल के नाम का दुरूपयोग नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जीआई अधिनियम के तहत इन उत्पादों के मूल क्षेत्र के अलावा अन्य उत्पादकों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनाधिकृत उपयोग व उल्लंघन के परिणामस्वरूप कारावास तथा जुर्माना हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद (हिमकोस्टी) के सदस्य सचिव डीसी राणा ने कहा कि काला जीरा और चुल्ली तेल के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) के तहत पंजीकरण मामला हिमाचल प्रदेश पेटेंट सूचना केंद्र तथा हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद और किन्नौर चुल्ली/भीमी तेल उत्पादकों की प्रोसेसर सोसायटी, किन्नौर चुल्ली तेल के उत्पादक द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया था।

उन्होंने कहा कि परिषद द्वारा भविष्य की रणनीति के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए शीघ्र ही कल्पा और रिकांगपियो में हिमाचली काला जीरा और हिमाचली चुल्ली तेल के हितधारकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

गांवों-ग्रामीणों की आर्थिकी को मजबूती देते हैं मेले: महेंद्र सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मेले, हमारी समृद्ध विरासत को सँजोने, सहेजने और आगे बढ़ाने का कारगर साधन हैं। इनसे भाईचारे और आपसी साझेदारी की भावना को बल मिलता है। साथ ही ये गांवों-ग्रामीणों की आर्थिकी को मजबूती देते हैं। एक ही जगह पर घरेलु जरूरतों का साजो-सामन व मिठाईयों आदि मिलने से खरीददारी में लोगों को सुविधा होती है। मेलों में पहलवानों के कुश्ती प्रदर्शन से सभी का मनोरंजन होता है, और लोग इनका आनंद लेते हैं।

सुंदरनगर उपमंडल के प्रसिद्ध मुरारी माता मंदिर मेले के समापन अवसर पर बोल रहे थे।

महेंद्र सिंह ठाकुर ने लोकसभा चुनावों में भाजपा की सफलता खासकर प्रदेश में उम्दा प्रदर्शन के लिए सभी लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन हितैषी नीतियों और हिमाचल में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की विकास नीतियों को सभी ने पूरे दिल से स्वीकार किया है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुरारी माता मंदिर के साथ लगते तीनों विधानसभा क्षेत्रों सुंदरनगर, बल्ह और सरकाघाट में पेयजल आपूर्ति की कोई समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने लोगों की मांग पर मंदिर के लिए बनी कच्ची सड़क को पक्का करवाने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर बल्ह के विधायक इंदर सिंह गांधी ने अपने सम्बोधन में सभी को मेले की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने मंदिर परिसर में छिन्ज मैदान में शैड के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मंदिर तक की कच्ची सड़क को पक्का करने के कार्य को वे अपनी विधायक प्राथमिकता में डालेंगे।

मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष अमर सिंह ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया और समिति की विभिन्न मांगें उनके समक्ष रखीं।

इस मौके महेंद्र सिंह ठाकुर और इंदर सिंह गांधी ने कुश्ती प्रतियोगिता का आनंद भी लिया। मंडी के पंकज पहलवान ने बड़ी कुश्ती में चम्बा के नवाज़ अली को हराया। मंत्री ने विजेता को गदा और नकद राशि देकर सम्मानित किया।

दून में चंडी को मिला आईपीएच का नया सबडिवीजन

सोलन/शैल। दून विधानसभा क्षेत्र के तहत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के नए खुले सब डिवीजन का लोकार्पण सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा किया गया। इस नए खुले सब डिवीजन के तहत चंडी, दिगल और पट्टा के 3 सेक्शन आएंगे और इसके खुलने से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को लाभ पहुंचेगा। लोगों की मांग पर उन्होंने भरोसा देते हुए कहा कि इस सब डिविजन को नालागढ़ डिविजन के तहत ही रखा जाएगा ताकि लोगों को सहूलियत हो।

बाद में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने जिला स्तरीय चंडी मेले के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र की पहाड़ी पंचायतों के लिए कार्यान्वित की जा रही 22 करोड़ रुपए की पेयजल योजना लगभग पूरी होने वाली है और इसका ट्रायल 25 जून तक पूरा किया जाएगा। इस पेयजल योजना के शुरू होने से इस पहाड़ी क्षेत्र की कई पंचायतों के लोगों की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी होगी और उन्हें पेयजल की समस्या से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि

केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विशेषकर मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए जो योजनाएं और स्कीमें चलाई गई वे अपने आप में लोगों के कल्याण के प्रति सही मायने में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं और मांगों का लाभ व्यवहारिक तौर पर भी लोगों को प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों पर संतोष जताते हुए दोबारा अपना समर्थन खुले मन से दिया है।

उन्होंने कहा कि इस पहाड़ी क्षेत्र के छात्र और छात्राओं के लिए डिग्री कॉलेज की सुविधा की मांग को भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष रखा जाएगा ताकि विशेषकर इस क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा अपने घर द्वार पर प्राप्त करने के अवसर मिल सकें।

राज्य की सांस्कृतिक नीति बनाने के लिए हितधारकों से मांगे सुझाव

शिमला/शैल। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा राज्य में लोक संस्कृति के प्रोत्साहन के दृष्टिगत सांस्कृतिक नीति बनाने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के कला क्षेत्र से जुड़े हितधारकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध लोक संस्कृति और लोक कलाओं के जाना जाता है तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक है कि हिमाचली कलाकारों को हर मंच पर तथा सभी लोक विधाओं को प्रोत्साहन दिया जाए।

उन्होंने सभी हितधारकों से कहा कि राज्य में सांस्कृतिक नीति बनाने के लिए अपने ठोस सुझाव दें ताकि लोक संस्कृति के प्रोत्साहन को नई दिशा मिल सके।

उन्होंने कहा कि कलाकारों की चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा और सभी लोक आयोजनों में हिमाचली कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सचिव भाषा एवं संस्कृति विभाग डॉ. पूर्णिमा चौहान ने बताया कि प्रदेश में कलाकारों के पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सभी कलाकारों से आग्रह किया कि वे अपनी-अपनी विधाओं से संबंधित अपने जिले में जिला भाषा अधिकारी कार्यालयों में पंजीकरण करवाएं। शिमला जिला में जिला भाषा अधिकारी के अतिरिक्त गेयटी थियेटर में भी पंजीकरण करवाया जा सकता है। बैठक में उपायुक्त शिमला राजेश्वर गोयल भी उपस्थित थे।

500 बस्तियों को मिलेगी स्वच्छ पेयजल की सुविधा

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में 500 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

विपिन सिंह परमार नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के लोहार-लाहड़ी में 68 लाख रुपये की लागत से निर्मित लोहार-लाहड़ी उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण करने के पश्चात लोगों को सम्बोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से चंगर क्षेत्र के दुर्गम गांव लोहार लाहड़ी के 2018 लोगों को पेयजल की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि आंशिक रूप से कवर बस्तियों को पूर्ण पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए महत्वकांक्षी परियोजना भारत सरकार को भेजी गई थी। भारत सरकार ने परियोजना के प्रथम चरण में न्यू विकास बैंक के माध्यम से 700 करोड़ रुपये के वित्तिय पोषण की संस्तुति की है। इससे 943 गांवों की 2427 ग्रामीण बस्तियां लाभान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि इसी परियोजना के अन्तर्गत शेष बची बस्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए दूसरे चरण में 49 विधानसभा क्षेत्रों की 61 पेयजल योजनाओं के लिए 2567 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कंडी में आईपीएच विभाग का सेक्शन खोलने, क्यार गांव के लिए पेयजल की व्यवस्था करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मस्सल गावं समूह की ब्रिकस की योजना का टेन्डर अगले महीने लगा दिया जाएगा। मिनी टयूब बेल के लिए पैसा उपलब्ध करवाने, जंदराह और 19 बस्तियों के लिए पेयजल योजना की डीपीआर तैयार कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्कीमों को राज्य तकनीकी सलाहकार समिति से मंजूर करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्यापन के पश्चात हैंडपम्प भी लगा दिये जाएंगे। उन्होंने नगरोटा आईपीएच के विश्रामगृह के विस्तारीकरण करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चंगर क्षेत्र के लिए 2000 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। नगरोटा मंडल में पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं के रखरखाव के लिए समुचित धनराशि का प्रावधान किया जाएगा।

संजय कुंडू ने किया नगर निगम शिमला द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं गुणवत्ता नियंत्रण दल के अध्यक्ष संजय कुंडू ने शिमला के विभिन्न स्थानों में नगर निगम शिमला द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर गुणवत्ता नियंत्रण सेल के सदस्य मुख्य अभियन्ता बी. एस.राणा, अधीक्षण अभियन्ता दीपक शर्मा, सहायक अभियन्ता एल.के.शर्मा और दिवेश ठाकुर भी उनके साथ उपस्थित थे।

गुणवत्ता नियंत्रण दल ने क्रैगनेनौ, संजौली और नौल्सवुड में पानी के टैंकों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्रैगनेनौ-ढली बाईपास पाईप लाईन, एस.टी.पी. ढली, संजौली रिज पाईप लाईन, चेलैंज फंड बिल्डिंग नजदीक लिफ्ट, कूड़ा संयंत्र भरयाल तथा दीपक परियोजना से चक्कर तक की गई सड़क टायरिंग व मेटलिंग का भी निरीक्षण किया और सुधार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

संजय कुंडू ने नगर निगम के अधिकारियों को शहर में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा कमियों को दूर करने बारे सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण दल नगर निगम शिमला की सड़कों व भवन निर्माण कार्यों की आने वाले सप्ताह में पुनः जांच करेगा, जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की जाएगी।

गुणवत्ता नियंत्रण दल में नगर निगम की ओर से संयुक्त आयुक्त अनिल शर्मा, शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड (एस.जे.पी.एन.एल) के ए.जी.एम. विजय गुप्ता तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतिंत होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं।.....चाणक्य

सम्पादकीय

घातक होगा राजनीति का व्यवसाय बनना

चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। जनादेश 2019 में देश की जनता ने एक बार पुन: मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए पहले भी ज्यादा समर्थन उन्हे दिया है। शायद इतने ज्यादा समर्थन की उम्मीद अधिकांश भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी नही होगी। प्रधानमन्त्री ने इस जीत को चुनावी कैमिस्ट्री और कार्य तथा कार्यकर्ताओं की जीत करार दिया है। विपक्ष में कांग्रेस ने हार के कारणों का कोई खुलासा अभी तक जनता के सामने नही रखा है बल्कि अपने नेताओं को एक माह तक मीडिया में कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना किया है। लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर ईवीएम मशीनों पर सन्देह जताया है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी इन मशीनों पर शक जताया है। ईवीएम मशीनों पर शक जताते हुए कई विडियोज़ सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। एक विडियो में एक शशांक आनन्द ने चुनाव आयोग द्वारा रखे गये उन दस तर्कों का बुरी तरह से एक एक करके खण्डन किया है जिनके आधार पर मशीनों में किसी भी तरह की गड़बड़ करना संभव नही होने का दावा किया गया है। शशांक आनन्द ने इसे सुनियाजित हार्डवेयर टैपरिंग करार दिया है और इसे कई आईटी विशेषज्ञों ने भी संभव ठहराया है।

विपक्ष हार के कारणों की समीक्षा में लगा है और देर सवेर उसे इस बारे में कुछ कहना भी पड़ेगा। जब कोई राजनीतिक दल इस तरह की हार को अपने संगठन कार्यकर्ताओं और नेतृत्व की हार मान लेगा तो निश्चित रूप से इसका असर उसके कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। जब कार्यकर्ता संगठन और नेतृत्व को कमज़ोर आंक लेता है तब ऐसे दलों को पुन: जीवन मिलना असंभव हो जाता है और कोई भी दल ऐसा नही चाहेगा कि उसके कार्यकर्ता उससे ना उम्मीद हो जायें। इसलिये इस हार के लिये संगठन और नेतृत्व से हटकर कारण खोजने होंगे और उन कारणों पर कार्यकर्ता को पूरे तार्किक ढंग से आश्वस्त भी करना होगा। ऐसे में अन्ततः सारा तर्क ईवीएम मशीनों पर फिर आकर थम जाता है। क्योंकि इन ईवीएम मशीनों को लेकर लम्बे अरसे से सन्देह जताया जा रहा है। जिस तरह से इसमें हार्डवेयर की टैपरिंग को लेकर अब सवाल उठे हैं उन्हें किसी भी विशेषज्ञ द्वारा झुठला पाना संभव नही होगा। क्योंकि जब 2014 के चुनावों में किये गये वायदों के मानकों पर सरकार का आकलन किया जाये तो ऐसा कुछ ठोस नजर नही आता है जिसके आधार पर इतने प्रचण्ड बहुमत को संभव माना जा सके।

प्रधानमन्त्री ने भी इस जीत को उनकी नीतियों की बजाये चुनावी कैमिस्ट्री की जीत बताया है। इस कैमिस्ट्री की अगर समीक्षा की जाये तो इसमें सबसे पहले भाजपा का आईटी सैल आता है। पार्टी के भीतर की जानकारी रखने वालों के मताबिक देश भर में इस सैल में करीब एक लाख कर्मचारी काम कर रहा था। यह करीब एक लाख लोग कार्यकर्ता नही वरन पार्टी के कर्मचारी थे। क्योंकि आईटी सैल में वही लोग काम कर सकते हैं जिन्होंने कम्प्यूटर ऑप्रेशन में प्रशिक्षण लिया हो। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन कर्मचारियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वेतन दिया जा रहा था। इस वेतन के लिये पैसा उद्योग घरानों से चन्दे के रूप में लिया गया। यह चन्दा इलैक्शन वांडस के माध्यम से आया। इसमें चन्दा देने वाले का नाम कितना चन्दा किस राजनीतिक दल को दिया गया इस सबको गोपनीय रखा गया। इसके लिये वाकायदा नियम बनाए गये। इस संबंध में जब सर्वोच्च न्यायालय में याचिका आयी तब चुनाव आयोग और सरकार में थोड़ा मतभेद भी आया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें ज्यादा दखल न देते हुए यह निर्देश दिये है कि चन्दे को लेकर 31 मई तक राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को जानकारी देनी होगी। इस जानकारी में क्या सामने आता है यह तो उससे आगे ही पता चलेगा। लेकिन जितना बड़ा तन्त्र इस चुनाव के लिये भाजपा ने खड़ा किया है उससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि भाजपा को एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल की बजाये एक राजनीतिक व्यवसायिक प्रतिष्ठा के तरह विकसित किया जा रहा है। भाजपा की तर्ज पर ही अन्य राजनीतिक दल भी इसी लाईन पर आ गये हैं। इस सबका अर्थ यह हो जाता है कि अब राजनीतिक लोक सेवा की बजाये एक सुनियोजित व्यवसाय बनता जा रहा है और यह व्यवसाय बनना ही कालान्तर में लोकतन्त्र और पूरे समाज के लिये घातक होगा। इसी का प्रभाव है कि इस बार संसद में दागी छवि और करोड़पति माननीयों की संख्या और बढ़ गयी है।

जब राजनीति व्यवसाय बनती जाती है तब सारे संवैधानिक संस्थान एक एक करके ध्वस्त होते चले जाते हैं। इस बार के चुनावों में चुनाव आयोग की विश्वनीयता पर जो सवाल उठे हैं उनका कोई तार्किक जवाब समाने नही आ पाया है शायद है भी नही। लेकिन चुनाव आयोग के साथ ही उच्च/शीर्ष न्यायपालिका भी लगातार सवालों में घिरती जा रही है। बीस लाख ईवीएम मशीनों के गायब होने को लेकर एक मनोरंजन राय ने मार्च 2018 में मुबंई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। याचिका आरटीआई के तहत मिली जानकारियों के आधार पर दायर हुई थी। लेकिन सुनवाई के लिये सितम्बर 2018 में आयी। इस पर 8 मार्च 2019 को चुनाव आयोग ने जवाब दायर करके कहा कि हर मशीन और वीवी पैट का अपना एक विष्शिट नम्बर होता है और यह खरीद विधि मन्त्रालय की अनुमति और नियमों के अनुसार की गयी है। जबकि जवाब का मुद्दा था कि कंपनीयों ने कितनी मशीनें सप्लाई की और आयोग में कितनी प्राप्त हुई। लेकिन इसका कोई जवाब नही दिया गया। इसके बाद 23 अप्रैल को यह मामला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश प्रदीप नदराजोग और न्यायमूर्ति एन एम जामदार की पीठ में लगा। इस बार फिर चार सप्ताह में आयोग को जवाब देने के लिये कहा गया और अगली पेशी 17 जुलाई की लगी। इस पर मनोरंजन राय ने सर्वोच्च न्यायालय में एस एल पी दायर करके इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध की मांग की लेकिन वहां भी यह मामला सुनवाई के लिये नही आ पाया। ईवीएम को लेकर पूरा विपक्ष चुनाव आयोंग से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सर पीटता रहा है लेकिन किसी ने भी इसे गम्भीरता से नही लिया। अब राजनितिक दल इन्ही ईवीएम मशीनों को एक बड़ा मुद्दा बनाकर जनता की अदालत में जाने की बाध्यता पर आ गये हैं। इसके परिणाम क्या होंगे कोई नही जानता लेकिन यह तय है कि जब भी जनता के विश्वास को आघात पंहुचता है तो उसके परिणाम घातक होते हैं देश जे.पी. आन्दोलन, मण्डल आन्दोलन और फिर अन्ना आन्दोलनों के परिणाम भोग चुका है और एक बार फिर हालात वही होने जा रहे हैं।

कांग्रेस को अपनी हार नहीं, बीजेपी की जीत की समीक्षा करनी चाहिए

–डॉ. नीलम महेंद्र–

2019 के लोकसभा नतीजे कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर लेकर आए। और जैसा कि अपेक्षित था, देश की सबसे पुरानी पार्टी में भूचाल आ गया। एक बार फिर हार की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन हो चुका है। पार्टी में इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। खबर है कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफा देने पर अड़े हैं। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से लेकर आम कार्यकर्ता तक राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में अपना विश्वास जता रहे हैं। यह अच्छी बात है कि ऐसे कठिन दौर में भी किसी संगठन का अपने नेतृत्व पर भरोसा कायम रहे। लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि लगातार मिलने वाली असफलताओं के बावजूद उस संगठन के बड़े नेता से लेकर आम कार्यकर्ता तक अपने नेता के साथ मजबूती से खड़े हों। सभी लोग राहुल को यह समझाने में लगे हैं कि उन्होंने चुनावों में बहुत मेहनत की और चुनावों में पार्टी की हार क्यों हुई उसकी समीक्षा की जाएगी वे मन छोटा ना करें पार्टी हर हाल में उनके साथ है। इससे पहले भी 2014 के लोकसभा चुनाव हों या फिर उसके बाद होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव भाजपा लगातार अपने कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को चरितार्थ करने में लगी थी और राज्य दर राज्य सत्ता कांग्रेस के हाथों से धीरे धीरे फिसलती जा रही थी। महाराष्ट्र हरियाणा आंध्रप्रदेश हिमाचल प्रदेश असम जैसे राज्य जहाँ कहीं वो सत्ता में थी तो नकार दी गई तो गोआ उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात जैसे राज्य जहाँ सत्ता में नहीं थी तो भी नकार दी गई। और जिन तीन राज्यों मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यस्थान में अभी मात्र चार महीने पहले सत्ता में आई थी वहां भी वो इन चुनावों में जनता का भरोसा नहीं जीत पाई। इन परिस्थितियों में राहुल का इस्तीफा देने की पेशकश करने और कांग्रेस का उनमें एक बार फिर विश्वास जताना ना सिर्फ अत्यंत निराशाजनक है बल्कि कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए भी घातक है। दरअसल आपसी गुटबाजी के चलते गाँधी परिवार के ही किसी सदस्य के हाथों कांग्रेस की कमान सौंपना कांग्रेस की आज की मजबूरी है। लेकिन यह भी सच है कि सोनिया गांधी और काफी हद तक कांग्रेस के बड़े नेताओं की आपसी गुटबाजी का कांग्रेस की इस मजबूरी को बनाने में काफी अहम योगदान रहा है। इन सभी के तात्कालिक स्वार्थों की राजनीति देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी की यह दशा कर देगी इतनी दूरकालिक दृष्टि इनमें से किसी ने नहीं रखी। इसलिए आज एक ऐसे शख्स के हाथों में पार्टी की कमान देना जिसके पास गाँधी परिवार का सदस्य होने के अलावा और कोई योग्यता ना हो पार्टी की मजबूरी बन गई है। और खास बात यह रही कि राहुल गांधी ने भी अब तक के अपने कार्यकाल को एक मजबूरी की भांति इस तरह निभाया कि इस पूरे कालखंड विशेष तौर पर चुनावों के समय के उनके आचरण और उसके बाद चुनाव परिणामों ने उनकी योग्यता पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिए।

लेकिन अब राहुल नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी के कुछ नेताओं को छोड़कर वो किसी से नहीं मिल रहे हैं क्योंकि पार्टी के कुछ नेताओं के पुत्र मोह को पार्टी की हार की वजह मान रहे हैं। उनका कहना है कि इन नेताओं ने अपने स्वार्थ को पार्टी हित से ऊपर रखा। वैसे इस विषय में उनका अपनी मां सोनिया गांधी के बारे में क्या विचार हैं यह जानना रोचक होगा। खैर, हम बात कर रहे थे कांग्रेस की हार की। तो अगर सचमुच कांग्रेस अपनी वर्तमान स्थिति से दुखी है और इन परिस्थितियों से उबारना चाहती है तो सबसे पहले उसे अपनी सोच और अपनी अप्रोच दोनों बदलनी होगी। आदमी जो चीज हासिल करना चाहता है उसे उस पर फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो कांग्रेस बार बार करती आ रही है कि वो जीतना चाह रहे हैं लेकिन अपने प्रतिद्वंद्धी की जीत के कारणों के बजाए अपनी हार की समीक्षा करते हैं। क्यों? कांग्रेस तो यह समीक्षा 1991 से लगभग लगातार ही करती आ रही है। राजीव गांधी की हत्या के बाद भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। चाहे 1991 की नरसिम्हा राव की सरकार हो या 2004 और 2009 की यूपीए की सरकार हो, कांग्रेस अपने दम पर पूर्ण बहुमत 1984 के बाद कभी भी हासिल नहीं कर पाई। इस बीच वो कई बार हारी। 2014 तो कांग्रेस के इतिहास की सबसे बुरी हार थी और 2019 सबके सामने है। जाहिर है पार्टी ने हर बार हार के कारणों की समीक्षा की होगी। सोचने वाली बात है कि इतनी समीक्षाओं के बाद भी पार्टी का प्रदर्शन क्यों नहीं सुधार रहा?

अगर सच में कांग्रेस अपनी स्थिति सुधारना चाहती है तो ,

1. सर्वप्रथम उसे स्वयं को चाटुकारों से मुक्त करना होगा।

2. यह बात सही है कि राहुल पर वंशवाद के आरोप लगते हैं और सुनने में आ रहा है कि अब वो गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष बनाना चाहते हैं लेकिन यह भी सच है कि इस काम के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है।

3. राहुल के लिए यह समय है खुद को सिद्ध करने का ना कि परिस्थितियों से भागने का। जिस पार्टी का अध्यक्ष उन्हें परिवारवाद के कारण बनाया गया उसके लिए अब वो अधिकारबोध नहीं कर्तव्यबोध से एक नई शुरुआत करें। जमीनी संगठनात्मक ठोस बदलाव करके उसमे से भ्रष्टाचार में लिप्त अहंकार में डूबे और वीआईपी पांच सितारा संस्कृति में डूबे पुराने चेहरों से कांग्रेस को मुक्त करें और भविष्य के लिए ऐसे नए चेहरे तैयार करें जो भविष्य में पार्टी की बागडोर संभलने के सक्षम हों और यह सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में कांग्रेस परिवारवाद की दीमक से मुक्त हो सके।

4. जीतना चाहते हैं तो जीत के कारणों की समीक्षा करें हार की नहीं।

5. अपनी जीत की समीक्षा करें कि जब कांग्रेस जीतती थी तो क्यों जीतती थी क्योंकि कांग्रेस को अपनी आज की हार के कारण अपनी पिछली विजय के कारणों में ही मिलेंगे।

दरअसल 1952 में जब आजाद भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तब से लेकर 1971 तक के चुनावों में कांग्रेस लगभग जीती हुई बाजी ही खेलती थी। देखा जाए तो ये चुनाव कांग्रेस के लिए लगभग एकतरफा चुनाव होते थे। क्योंकि देश की आजादी के लिए एकता जरूरी थी इसलिए अपनी अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लगभग सभी संघठनों ने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस में विलय करके अपनी पहचान तक से समझौता कर लिया था। इसलिए 1947 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में देश आजाद हुआ और महात्मा गांधी की इच्छानुसार जवाहरलाल नेहरु देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो देश में यह संदेश गया कि कांग्रेस ने ही देश को आजाद कराया है। और जनमानस के इसी मनोविज्ञान का फायदा कांग्रेस को 1971 तक मिला। 1952 के पहले लोकसभा चुनावों से लेकर 1971 तक कांग्रेस के सामने विपक्ष भी अनेक छोटे छोटे दलों में बंटा लगभग ना के ही बराबर था। लेकिन समय के साथ विपक्ष मजबूत होता जा रहा था और शास्त्री जी के बाद वापस गांधी नेहरु परिवार की शरण में जाने से कांग्रेस कमजोर। 1975 में कांग्रेस द्वारा देश पर थोपा गया आपातकाल कांग्रेस की सत्ता पर कमजोर होती जा रही उसकी पकड़ का सबूत था। और 1977 में बुरी तरह हारने वाली कांग्रेस जब 1980 में फिर एक बार जीती तो उसमें कांग्रेस की योग्यता से ज्यादा विपक्षी दलों का योगदान था। और 1985 में कांग्रेस की जीत में इंदिरा गांधी की हत्या का। लेकिन 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में 400 से अधिक सीटें जीतने वाली कांग्रेस उसके बाद फिर कभी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई यहां तक कि राजीव गांधी की हत्या के बाद भी नहीं। यानी जब तक खेल एकतरफा था कांग्रेस जीतती रही लेकिन जब जब सामने विपक्ष मजबूत और एक होकर आया वो हारी है।

इसलिए आज अगर राहुल कांग्रेस को मजबूत करना चाहते है तो सबसे पहले उन्हें खुद को मजबूत करना होगा क्योंकि वो इस बात को समझ लें कि भले ही वो मुहं में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हों लेकिन उनके सामने चुनौतियाँ नेहरू से अधिक हैं। क्योंकि तब कांग्रेस के प्रतिद्वंद्धी ना तो सक्षम थे और ना ही उनमें एकता थी लेकिन आज राहुल का जिनसे सामना है वो एक भी हैं और सक्षम भी यह वो दो बार साबित कर चुके हैं वो भी पहले से अधिक ताकत के साथ।

अगर वो कांग्रेस को वाकई में मजबूत करना चाहते हैं तो उनके नाम में जो गांधी लगा है उसे चरितार्थ करना होगा। गांधीजी ने अफ्रीका से लौटने पर देश के स्वतंत्रता आंदोलन को शुरू करने से पहले पूरे भारत का भ्रमण किया था वो भी ट्रेन के तृतीय श्रेणी के डब्बे में ताकि वे असली भारत को जान पाएं। राहुल को भी अगर लोगों के दिल में जगह बनानी है तो उन्हें भारत को समझना होगा यहां के जनमानस का मन पढ़ना होगा। राजनीति में विदेश से हासिल डिग्री विपक्ष का मुँह तो बन्द कर सकती है लेकिन वोट नहीं दिलवा सकती। एसी कमरों में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर आरोप तो लगाए जा सकते हैं लेकिन उन आरोपों पर देश की विश्वसनीयता नहीं जीती जा सकती। जिस पार्टी की आजादी के बाद पहली सरकार पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हों और 2014 तक आते आते अनगिनत आरोपों से घिर चुकी हो लोगों के मन में ऐसी पार्टी के लिए एक बार फिर जगह बनाना राहुल के लिए आसान नहीं होगा। खास तौर पर तब जब मात्र चार महीने पुरानी मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो रहे हों। लेकिन अगर वो सच में कांग्रेस को इस हार से उबारना चाहते है तो उन्हें भ्रष्टाचार पर अपना कड़ा रुख देश को दिखाना होगा। लेकिन जब एक प्रदेश की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के तार आलाकमान के ही दफ्तर से जुड़ रहे हों तो?

और सबसे महत्वपूर्ण बात पार्टी की विचारधारा को नए सिरे से स्पष्ठ करना होगा। आज जो राहुल अपने कुछ नेताओं पर पार्टी हित से पहले स्व हित को रखने का आरोप लगा रहे हैं वो राहुल भूल रहे हैं कि राष्ट्र हित से पहले पार्टी हित और पार्टी हित से पहले स्वयं का हित कांग्रेस की शुरू से ही परंपरा रही है। इसीलिए उसने सेक्युलरिज्म की आड़ में तुष्टीकरण अभिव्यक्ति की आड़ में देशविरोधी गतिविधियों का समर्थन मानवाधिकारों की आड़ में अलगाववादियों का समर्थन जैसे कदमों से वोटबैंक की राजनीति करने से भी परहेज नहीं किया।

लेकिन अब अगर राहुल कांग्रेस को सच में उबारना चाहते हैं तो उन्हें शुरुआत से शुरू करना होगा। कांग्रेस की विचारधारा से लेकर परंपरा को बदलना होगा क्योंकि जितना आवश्यक कांग्रेस का खुद को इस हार से उभारना है उतना ही आवश्यक इस देश के लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना है।

राहुल गांधी की कांग्रेस कैसी होगी.....

''पूण्य प्रसून वाजपेयी''

कांग्रेस में सन्नाटा है। सन्नाटे की वजह हार नहीं है । बल्कि हार ने उस कवच को उखाड दिया है जिस कवच तले अभी तक बडे बडे कांग्रेसी सूरमा छिपे हुये थे। और अपने बच्चों के लिये कांग्रेस की पहचान और कांग्रेस से मिली अपनी पहचान को ही इन्वेस्ट कर जीत पाते रहे। पहली बार इन कद्दावरों के चेहरे पर शिकन दिखायी देने लगी है कि क्योकि उनका राजा भी चुनाव हार गया। और बिना राजा कोटरी कैसी। चापलूसी कैसी। कद किसका। और बिना कद कार्यकत्ताओं की फौज भी नहीं। मान्यता भी नहीं। और चाहे अनचाहे कांग्रेसी राजा यानी राहुल गांधी ने उस सच को अपने इस्तीफे की धमकी से उभार दिया जिसे सुविधाओं से लैस कांग्रेसी राहुल गांधी की घेराबंदी कर अपनी दुकान को अरामपस्ती से अभी तक चलाते रहे। कांग्रेस खत्म हो नहीं सकती इसे तो नरेन्द्र मोदी भी जानते है और रईस कांग्रेसियो का झुंड भी जानता समझता है। क्योंकि कांग्रेसी की पहल किसी राजनीतिक दल की तर्ज पर कभी हुई ही नहीं। उसे शुरुआती दौर में आजादी के संघर्ष से जोड कर देखा गया तो बाद में व्यक्तितव का खेल बन गया। गांधी परिवार से जो जो निकला, उसका जादूई व्यक्तित्व जब जब जनता को अच्छा लगा उसने कांग्रेस के हाथों सत्ता सौप दी। नेहरु, इंदिरा, राजीव की राजनीतिक पारी में मुद्दों का उभारना और व्यक्तित्व का जादुई रुप ही छाया रहा। लेकिन सोनिया गांधी के दौर में विपक्ष के अंधेरे ने कांग्रेस को सत्ता दिला दी। और राहुल गांधी के वक्त गांधी परिवार के व्यक्तित्व की चमक को अपने नायाब नैरेटिव या कहे मुद्दों के काकटेल तले कही ज्यादा चमक रखने वाले मोदी उभर आये। लेकिन कांग्रेस की व्याख्या या कांग्रेस का परिक्षण का ये आसान तरीका है। दरअसल कांग्रेस की यात्रा या कहे नेहरुकाल से भारत को गढने का जो प्रयास गवर्नेंस के तौर पर हुआ उसमें गांव या कहे पंचायत से लेकर महानगर या संसद तक कांग्रेसी सोच बिना पार्टी संगठन के भी पलती बढती गई। सीधे समझे तो जिस तरह पन्ना प्रमुख से लेकर संगठन महासचिव के जरीय बीजेपी ने खुद को राजनीतिक दल के तौर पर गढा उसके ठीक उलट देश की नौकरशाही (बीडीओ से आईएएस), देश में विकास का इन्फ्रस्ट्क्चर, औद्योगिक और हरित क्रातिं या फिर सूचना के अधिकार से लेकर मनरेगा तक की पहल को कांग्रेसी सोच तले देखा परखा गया। यानी कांग्रेसी कार्यकत्ताओ ने या फिर कांग्रेसी संगठन ने जो भी काम किया वह कांग्रेसी सत्ता से निकली नीति या देश में लागू किये गये निर्णयो की कारपेट पर ही चलना सीखा। और सत्ता के मुद्दे के साथ गांधी परिवार के व्यक्तित्व से नहायी कांग्रेस को इसका लाभ मिलता चला गया। जबकि इसके ठीक उलट ना तो जनता पार्टी की सरकार में ना ही वाजपेयी की सत्ता के दौर में कोई ऐसा निर्णय लिया गया जिसे कभी जनसंध या फिर बीजेपी को लाभ मिलता। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद पहली बार मोदी कार्यकाल में ही नये तरीके से सत्ता के नैरेटिव को इतनी मजबूती से बनते देखा कि बीजेपी का संगठन या संगठन के साथ खडे स्वयसेवकों की फौज यानी आरएसएस की चमक भी गायब हो गई । यानी एक वक्त मंडल को कॉउंटर करने के लिये कंमड की फिलासफी। या फिर अयोध्या आंदोलन के जरीये बीजेपी-संघ परिवार को एक साथ मथते हुये देश को पार्टी से जोडने की कोशिश जिस अंदाज में हुई वह बीजेपी को सत्ता मिलते ही गायब हो गई। यानी बीजेपी को सत्ता हमेशा अपने राजनीतिक संगठन की मेहनत से मिली। पर सत्ता में आते ही संगठन को ही कमजोर या घता बताने की प्रक्रिया को भी बीजेपी ने ही जिया। लेकिन कांग्रेस ने कभी संगठन पर ध्यान दिया ही नहीं और संगठन हमेशा कांग्रेसी सत्ता के निर्णयों या कहे कार्यो पर ही निर्भर रहा। शायद इसीलिये पहली बार जब बीजेपी का अंदाज बदला। उसका सब कुछ नेतृत्व में समाया तो कांग्रेस के सामने संकट ये उभरा कि वह पारंपरिक राजनीति को छोडे या फिर पारंपरिक राजनीतिक करने वाले दिग्गज नेताओं को ही दरकिनार करें। क्योंकि कांग्रेस मथन की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें नेतृत्व को ना सिर्फ क्रूर होना पडेगा बल्कि निर्णायक भी होना होगा। और राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश इसी की शुरुआत है। क्योंकि राहुल गांधी भी इस सच को जाने है कि जब तक उनके पास संपूर्ण ताकत नही होगी तब तक चिंदबरम या गहलोत या कमलनाथ के बेटे कही ना कहीं टकराते रहेगें । सिंधिया का महाराजा वाला भाव जागृत रहेगा। और चारों तरफ से चापलूस या गांधी परिवार के दरवाजे पर दस्तक देने की हैसियत वाले ही कांग्रेस के भीतर बाहर खुद को ताकतवर दिखलाकर कद्दावर कहलाते रहेगें। राहुल गांधी अब कांग्रेस के उस ढक्कन को ही खोल देना चाहते है जिस ढक्कन के भीतर सब कुछ गांधी परिवार है। यानी सोनिया गांधी के आगे हाथ से राह दिखाते नेता, प्रियका गांधी के आगे खडे होकर रास्ता बनाते नेता या फिर खुद उनके सामने नतमस्तक भूमिका में खडे होकर बडे कांग्रेसी बनने कहलाने की सोच लिये फिरते कांग्रेसियो से कांग्रेस को मुक्त कैसे किया जाये अब इसी सवाल से राहुल गांधी ज्यादा जुझ रहे है।

सवाल है कि अगर चिंदबरम, कमलनाथ या गहलोत को राहुल गांधी रिटायर ही कर दें तो किसी पर क्या असर पडेगा। या फिर इस कतार में सलमान खुर्शीद हो या पवन बंसल या फिर श्रीप्रकाश जयसवाल या सुशील कुमार शिंदे या फिर किसी भी राज्य का कोई भी वरिष्ट कांग्रेसी। सभी के पास खूब पैसा है। सभी के लिये कांग्रेस एक ऐसी राजनीति की दुकान है जहां कुछ इनवेस्ट करने पर सत्ता मिल सकती है यानी लाटरी खुल सकती है। और कांग्रेस के पास अगर इन नेताओं का साथ ना रहेगा तो होगा क्या? शायद पहचान पाये चेहरों की कमी होगी या फिर गांधी परिवार के सामने संकट होगा कि वह खुद को कद्दावर कैसे कहे जब वह कांग्रेसी कद्दावरों से घिरे हुये नही है तो। लेकिन इसका अनूठा सच तो गुना संसदय सीट पर मिले जनादेश में जा छुपा है। जहां महाराज जी को उनका ही कारिदां या कहे जनता से निकला एक आम शख्स हरा देता है। और वही से सबसे बडा सवाल भी जन्म लेता है कि बदलते भारत में पारंपरिक नेताओ को लेकर जनता में इतनी घृणा पैदा हो चुकी है कि वह उसकी रईसी से तंग आ चुका है। फिर युवा के मन में कभी कोई नेता आदर्श नहीं होता। और ना ही युवा किसी भी कद्दावर नेता को बर्दाश्त करता है। युवा भारत जब बोलने की स्वतंत्रता को ना सिर्फ राजनीतिक मिजाज से अलग देखता है बल्कि क्रियटीव होकर अब तो वह राजनीतिक पर किसी भी विपक्ष की राजनीतिक समझ से ज्यादा तीखा कटाक्ष करता है। तो ऐसे में नेताओ का भी संवाद सीधा होना चाहिये। साफ गोई नीतियो को सामने आना चाहिये। और ये समझ कैसे कांग्रेसी समझ ना पाये ये सिर्फ सिंधिया ही नहीं बल्कि मल्लिकाजुर्न खडगे की चुनावी हार से भी समझा जा सकता है। यानी कल तक संसद में काग्रेस का नेता। विपक्ष का नेता। और भूमि अधिग्रहण से लेकर नोटबंदी और जीएसटी भी इन्ही के काल में मोदी सत्ता लेकर आई तो फिर विपक्ष के नेता के तौर पर सिर्फ दलित सोच को उभारकर मल्लिकाजुर्जन खडगे को आगे करने की जरुरत क्या थी। क्या 2014 में कमलनाथ विपक्ष के नेता के तौर पर सही नहीं थे। तो फैसले गलत लिये गये या गलत होते चले गये। और एक वक्त के बाद कांग्रेसी ही जब गांधी परिवार से थक हार जाता रहा तो फिर उसका संयम सिवाय कांग्रेस से कमाई के अलावे कुछ रहा भी नहीं। राजनीति और चुनाव के वक्त जो सामाजिक-आर्थिक या कहे राजनीतिक नैरेटिंव भी चाहिये उस पर क्या किसी ने कभी सोचा। और नहीं सोचा तो मल्लिकाजुर्न इतनी बडी पहचान के वाबजूद चुनाव हार गये। यानी जिनका पहचान ही रही कि कभी चुनाव नहीं हारते हैं, इसलिये मल्लिकाजुर्न खडगे को ' सोल्लिड सरदार' भी कहते थे। लेकिन कांग्रेस जब सिर्फ गांधी परिवार के कंधो पर सवार होकर राजनीतिक चुनावी प्रचार ही देखती रही और राहुल गांधी अभिमन्यु की तरह लडते लडते थके भी तब भी कांग्रेस में अपने अपनी गरिमा समेटे कौन सा नेता निकला। तो क्या राहुल गांधी अब अभिमन्यु नहीं बल्कि अर्जुन की भूमिका में आना चाहते हैं जहां उनके जहन में कृष्ण का पाठ साफ तौर पर गूंज रहा है कि कांग्रेस को जिन्दा रखना है तो कोटरी, चापलूस और डरे-सहमे रईस कांग्रेसीयों का वध जरुरी है ।

और जिन कांग्रेसियो से राहुल गांधी घिरे हुये हैं वह घबरा भी रहा है कि कही राहुल गांधी वाकई कांग्रेस को पूरी तरह बदलने ना निकल पडे। तो वो पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ़ में कांग्रेस की जीत का सेहरा भी अपने माथे बांध लेता है। लेकिन इस सच को कोई नहीं कहता है कि इन राज्यो में कांग्रेस की जीत से पहले बीजेपी की सत्ता की हार जनता ने चुनी। इसीलिये जब नारे लगते रहे कि 'वसुधरा तेरी खैर नहीं, लेकिन मोदी से बैर नहीं' तो भी कांग्रेसी समझ नहीं पाये कि कौन सी व्यूब रचना मोदी ने अपने कद के लिये बना रखी है या भी वह लगातार बना रहा है। बीजेपी में कद्दावर क्षत्रप भी मोदी को बर्दाश्त नहीं और कांग्रेस में खुद को मजबूत क्षत्रप के तौर पर मान्यता पाने की होड अब कैप्टन से लेकर कमलनाथ और गहलोत से लेकर बधेल तक में है। लेकिन कांग्रेस को पार्टी के तौर पर अवतरित सिर्फ 10 जनपथ या 24 अकबर रोड में डेरा जमाये कांग्रेसियो से मुक्ति भर से नहीं होगा बल्कि मोदी की सत्ता काल में बीजेपी की कमजोरी को कांग्रेस कैसे ताकत बना सकती है और कैसे ग्राम सभा से लेकिन लोकसभा तक की लकीर सबको साथ जोडने वाली विचारधारा के साथ लेकर चला सकती है। इम्तिहान इसी का है। और इस परिक्षा का पहला सामना तो राहुल गांधी को ही करना होगा जिनके पास अभी तक जमीनी राजनीतिक समझ ही नहीं बल्कि समाज को समझने वालों की टीम तक नहीं है। जो अभी तक ये नहीं समझ पाये है कि संगठन का विस्तार या कारगर रणनीति बनाते रहना या फिर जनता से सीधा संपर्क कैसे बनाये इस समझ को अपनी कोर टीम में विकसित कर पाये। अगर अतीत में ना भी झांके की ममता और जगन ने कांग्रेस क्यों छोडी या फिर वह सफल क्यों हो गये लेकिन भविष्य तो देख समझ सकते हैं कि आखिर ममता का साथ छोडने वाले बीजेपी से पहले कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं देख सकते हैं। वामपंथियों के 22 फीसदी वोट बंगाल में बीजेपी के पास क्यों चले गये जबकि वाम की पूरी फिलोस्फी ही कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाल दी। फिर भी कांग्रेस का लक भरोसा क्यों नहीं जागा।

इतना ही नहीं संगठन में बूथ लेबल पर काम करने वाले कांग्रेसी जिन्हें एक वक्त वोट कलेक्टर माना जाता था उन्हे बेहद सम्मान मिलता था वह कहां गायब हो गये। आलम तो ये हो गया कि बूथ पर बैठे कांग्रेसियो को ग्वालियर संभाग में तीन बजे के बाद खाना तक नहीं मिल पाया तो बीजेपी का बूथ लगाये लोगों ने भोजन दिया। और माहौल इस तरह बनता क्यों चला गया कि जिसने मोदी को वोट नहीं दिया वह भी बाहर आकर कहने लगा कि उसने मोदी को वोट दिया और जिसने कांग्रेस को वोट दिया वह भी कांग्रेस जिन्दाबाद के नारे लगाने में हिचकने लगा। कहीं तो नैतिक पतन है या फिर कहीं तो राहुल गांधी को अकेले लडते छोड रईस कांग्रेसियो में राहुल को लेकर ही सवाल है इसलिये सभी अपनी सुविधा बनाये रखने के लिये राहुल के इस्तीफे को भी नाटक मान रहे हैं और फैला भी रहे हैं। फिर ये सवाल अब भी अनसुलझा सा है क्या वाकई राहुल गांधी बतौर राजनीतक कार्यकर्त्ता रह सकते हैं। या फिर सिर्फ अध्यक्ष के तौर पर रह सकते हैं। या फिर गांधी नाम रखे हुये अध्यक्ष की कुर्सी संभालते हुये उस कांग्रेसी कटघरे से बाहर निकल कर कांग्रेसियो को ये पाठ पढा सकता है कि जो उनके अगल बगल खडा होकर खुद को मजबूत मानता है दरअसल वह सबसे भ्रष्ट्र है। क्योकि सच तो ये भी है कि दिन भर राहुल के इर्द गिर्द मंडराते रईस, चेहरे वाले कांग्रेसी रात में मोदी तक बात पहुंचा कर अपने नंबर सुंबह शाम में जोडते है और हमेशा खुश खुश नजर आते है और जब युद्द की मुनादी राहुल गांधी करते है तो पहले सभी समझाते है युद्द से कुछ नहीं होगा। फिर खुद को युद्द से बाहर कर नजारा देख हसंते ठिठोली कर खुश होते रहते है। और जब राहुल गांधी कहते है तुम्ही संभालो कांग्रेस को तो रुआसा सा चेहरा बनाकर कहते है ' राहुल गांधी है तो काग्रेस है।'

तो बदलाव की बयार कांग्रेस में बहेगी या फिर कांग्रेस धीरे धीरे सिर्फ नाम भर में तब्दिल हो कर रह जायेगी ये नया सवाल है। जबकि इतिहास में राहुल गांधी के पास सबसे बेहतरीन मौका कांग्रेस को संवारने का है। और इसकी सबसे बडी वजह मोदी सत्ता में बीजेपी-संघ परिवार की सोच के खत्म होने का है। सिर्फ मोदी की गरिमामय मौजूदगी और लारजर दैन लाइफ का जो खेल खुद मोदी ने बीजेपी के 11 करोड कार्यकर्त्ता और 60 लाख स्वयंसेवक के साथ साथ सवा सौ करोड भारतीय के नाम पर शुरु किया है। वह भारतीय राजनति के उस संघर्ष को ही झुठला रहा है जो कभी नेहरु-इंदिरा के खिलाफ लोहिया-जेपी ने किया। आज की तारीख में पुराने लोहियावादी हो या जेपी संघर्ष के दौर में तपे समाजसेवी सभी खुद को अलग थलग पा रहे हैं। मोदी काल में उनकी जरुरत ना तो बीजेपी को है ना ही संघ परिवार को। तो कांग्रेस ने जब अपनी आर्थिक नीतियो में परिवर्तन कर कॉरपोरेट इक्नामी को नकारना सीखा है । ग्रामीण भारत और किसान-मजदूरों के साथ न्याय को जोडा है । वामपंथी-समाजवादी एंजेडो को अपने लोकप्रिय अंदाज में समेटा है। और जिस तरह मोदी सत्ता अब अपने जनादेश को मंडल के खत्म होने के साथ जोड रही है और क्षत्रपो के सामने आस्तितव का संकट है उसमें कांग्रेस के लिये खुद को खडे करने का इससे बेहतरीन मौका कुछ हो नहीं सकता। तो आखरी सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी भी काग्रेस के इस ब्लूप्रिंट को समझ रहे है और उसे जमीन पर उतारने के लिये अब उन्हे बिल्कुल नये सिपाही चाहिये। नये सिपाहियों के जरीये संघर्ष की मुनादी से पहले सिर्फ गांधी पारिवार का नाम नहीं बल्कि सारे अधिकार चाहिये । और जब राहुल गांधी कांग्रेस के उस ढक्कन को खोल कर बोतल में बंद राजनीति को आजाद कर कांग्रेस को भारत के सामाजिक- सास्कृतिक मूल्यों से जोड कर बीजेपी के छद्म राष्ट्रवाद, मोदी मैजिक और भावनात्मक हिन्दुत्व से मुक्ती दिलाने की दिशा में बढ़ना चाहते है तो फिर सफेद कुर्ते-पजामे में खुद को समेटे गांधी पारिवार की चाकरी कर कांग्रेसी होने का तमगा पाये लोगों से मुक्ति तो चाहिये ही होगी ।

मोदी के मंत्रीमंडल में शामिल 22 मंत्रियों पर हैं आपराधिक मामले

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रीमंडल में शामिल सभी मंत्रियों को उनके मंत्रालयों का बटवारा कर दिया गया है। मोदी के मंत्रीमंडल में कुल 24 कैबिनेट मंत्री, 09 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं। इसमें से अमित शाह समेत 20 मंत्री ऐसे हैं, जो पहली बार मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। नेशनल इलेक्शन वॉच (New)और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने लोकसभा 2019 और वर्तमान राज्यसभा से 58 मंत्रियों (प्रधानमंत्री सहित) में से 56 के स्व-शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है। रामविलास पासवान और डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर के विवरणों का विश्लेषण नही किया गया क्योंकि वे वर्तमान में दोनों सदनों के सदस्य नहीं हैं। विश्लेषण किए गए 56 मंत्रियों में से, 22 (39%) मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। जिसमें से 16 (29%) मंत्रियों ने गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है जिनमें हत्या के प्रयास, सांप्रदायिक भेदभाव, चुनावी उल्लंघन आदि से संबंधित मामले शामिल हैं। 6 मंत्रियों ने धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित मामलों की घोषणा की है। इन 56 मंत्रियों में से 51 (91%) करोड़पति हैं और पाँच मंत्रियों ने अपनी संपत्ति 1 करोड रुपये से कम घोषित की है। मोदी मंत्रीमंडल में शामिल 56 मंत्रियों में से 8 (14%) मंत्रियों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 10 वीं और 12 वीं कक्षा के बीच होने की घोषणा की है जबकि 47(84%) मंत्रियों ने स्नातक या उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता होने की घोषणा की है और 1 मंत्री ने डिप्लोमा कर रखा है। मंत्रीमंडल में शामिल होने वाले सांसदों और उन्हें मिले मंत्रालयों की पूरी सूची यह है।

नरेन्द्र मोदी — प्रधानमंत्री
कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग।सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा वे सभी विभाग, जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री

1. राजनाथ सिंह	रक्षा मंत्री	8. रविशंकर प्रसाद	कानून एवं न्याययय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री	17. पीयूष गोयल	रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
2. अमित शाह	गृह मंत्री	9. हरसिमरत कौर बादल	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री	18. धर्मेन्द्र प्रधान	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री
3. नितिन जयराम गडकरी	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री	10. थावर चंद गेहलोत	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री	19. मुख्तार अब्बास नकवी	अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
		11. डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर	विदेश मंत्री	20. प्रहलाद जोशी	संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री
4. डी.वी. सदानंद गौड़ा	रसायन एवं उर्वरक मंत्री	12. रमेश पोखरियाल'निशंक'	मानव संसाधन विकास मंत्री		
5. निर्मला सीतारमन	वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री	13. अर्जुन मुंडा	जनजातीय कार्य मंत्री	21. डॉ.महेन्द्र नाथ पांडेय	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री
		14. स्मृति जुबिन ईरानी	महिला एव बाल विकास और वस्त्र मंत्री	22. अरविन्द गणपत सावंत	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री
6. रामविलास पासवान	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री	15. डॉ. हर्षवर्धन	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री	23. गिरिराज सिंह	पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्यपालन मंत्री
7. नरेन्द्र सिंह तोमर	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री	16. प्रकाश जावड़ेकर	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री	24. गजेन्द्र सिंह शेखावत	जल शक्ति मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1. संतोष कुमार गंगवार	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
2. राव इन्द्रजीत सिंह	सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय और आयोजना मंत्रालय
3. श्रीपद येसो नाइक	आयुर्वेद, योगा और नेचरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय
4. डॉ. जितेन्द्र सिंह	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग
5. किरेन रिजिजु	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
6. प्रहलाद सिंह पटेल	संस्कृति मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय
7. राजकुमार सिंह	विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
8. हरदीप सिंह पुरी	आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
9. मनसुख मांडविया	जहाजरानी और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

राज्य मंत्री

1. फग्गनसिंह कुलस्ते	इस्पात मंत्रालय	12. संजीव कुमार बालियान	पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्यपालन मंत्रालय
2. अश्विनी कुमार चौबे	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	13.धोत्रे संजय शामराव	मानव संसाधन विकास, संचार औरइलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
3. अर्जुनराम मेघवाल	संसदीय कार्य मंत्रालय, और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	14.अनुराग सिंह ठाकुर	वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
		15. अंगड़ी सुरेश चन्नबसप्पा	रेल मंत्रालय
4. जनरल(सेवानिवृत्त)वी.के.सिंह	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	16. नित्यानंद राय	गृह मंत्रालय
5. कृष्ण पाल गुर्जर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	17. रतन लाल कटारिया	जल शक्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
6. दानवे रावसाहब दादाराव	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	18. वी. मुरलीधारन	विदेश मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय
		19. रेणुका सिंह सरुता	जनजातीय कार्य मंत्रालय
7. जी. किशन रेड्डी	गृह मंत्रालय	20. सोम प्रकाश	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
8. पुरुषोत्तम रूपाला	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	21. रामेश्वर तेली	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
9. रामदास अठावले	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	22. प्रताप चंद्र सारंगी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, और पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्यपालन मंत्रालय
10. साधवी निरंजन ज्योति	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
11. बाबुल सुप्रियो	पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	23. कैलाश चौधरी	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
		24. देबाश्री चौधरी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलेंगे 17550 मुफ्त बिजली कनेक्शन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में सरकारी क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से चार लाख रुपये से कम की सालाना पारिवारिक आय वाले तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्तमान आरक्षण योजनाओं में न आने वाले उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा के अनुरूप 'मुख्यमंत्री रोशनी योजना' को लागू करने की अनुमति प्रदान की। योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान गरीब परिवारों को 17550 मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

बैठक में फल उत्पादकों को नीम्बू प्रजाति के फलों के लिए लाभकारी दाम प्रदान करने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए बाजार मध्यस्थता योजना (एम. आई.एस.) के तहत किन्नू, माल्टा, सन्तरा और गलगल जैसे नीम्बू प्रजाति के फलों के खरीद मूल्य को वर्तमान समर्थन मूल्य से 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 54 खरीद केंद्र खोले जाएंगे, जो 21 नवंबर, 2019 से 15 फरवरी, 2020 तक क्रियाशील रहेंगे।

मंत्रिमण्डल ने वृद्धजनों, विधवाओं, निराश्रितों, विकलांगों, कुष्ठरोगियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये प्रति माह और 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को 1300 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया, जोकि एक जुलाई, 2019 से लागू होगा।

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक व विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्रों की संतुलित प्रगति के साथ-साथ आर्थिक विकास एवं रोज़गार अवसरों के पैमाने को बढ़ाने के तहत अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए 'हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019' को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य लंबित पड़ी औद्योगिक प्रगति का निवारण करना तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण, मुख्य भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना, मानव संसाधन विकास तथा क्रेडिट एवं बाजारों तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त इस नीति में सभी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण तथा स्वप्रमाणीकरण के माध्यम से 'व्यापार में सुगमता' को प्रोत्साहित किया जाएगा।

बैठक में मध्यम, लघु एवं सूक्षम उद्यमों को प्रोत्साहन देने, बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक प्रोत्साहन सहित एंकर इकाइयों की नई अवधारणा को शुरू करना, विद्यालय, अस्पताल, अन्य सामान्य सुविधाओं जैसी सामान्य औद्योगिक तथा सामाजिक अधोसंरचना के लिए प्रोत्साहन, सात वर्षों के लिए 90 प्रतिशत तक कुल जीएसटी की प्रतिपूर्ति की सुविधा, उद्योगों को ब्याज अनुदान पर 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा सहित तीन से पांच वर्षों के लिए मिलने वाले मियादी ऋणों को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों की औद्योगिक इकाइयों के लिए फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) बढ़ाने की भी अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने नए निजी औद्योगिक क्षेत्रों/थीम पार्कों की स्थापना के लिए पूंजी अनुदान, विद्युत कर में छूट तथा विद्युत दरों में 15 प्रतिशत तक रियायत को स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करने को बढ़ावा देने के लिए इकाइयों तथा सेवा क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से ज्यादा रोजगार हिमाचलवासियों को देने वाली इकाइयों को नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। पारम्परिक हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने उद्योगों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के अलावा अतिरिक्त व अधिक रियायतें प्रदान करने का निर्णय लिया।

बैठक में हि.प्र. के नियम 38-ए के प्रावधानों के सरलीकरण का निर्णय लिया गया। हिमाचल में निवेश परियोजनाओं की स्थापना के लिए टैनेनसी एवं भूमि सुधार नियमों, 1975 के अन्तर्गत निवेश परियोजना की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय एकल खिड़की एवं अनुश्रवण प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए स्वीकृति प्रदान की ताकि राज्य में और अधिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।

मंत्रिमण्डल में प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण युवाओं को पर्याप्त स्वरोजगार अवसर प्रदान करने के लिए होम-स्टे योजना के तहत अधिकतम तीन कमरों को पंजीकरण करने की सीमा को बढ़ाकर चार कमरे करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2019 को स्वीकृत प्रदान की गई जिसका उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर एवं प्राकृतिक सौन्दर्य को बढ़ावा देना है।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के झुंगी तथा सलवाहन (हटगढ़) में पशु औषधालय को विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन व भरने सहित पशु अस्पतालों में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि 'स्वास्थ्य में सहभागिता योजना' में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में अवाश्यक संशोधन किए जाएंगे ताकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच एवं सामर्थ्य में सुधार तथा निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल निवेश की प्रगति को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया जाए।

मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए जिला शिमला की उप-तहसील टिक्कर को तहसील का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों तथा सैनिकों की विधवाओं को सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के लिए एसएसबी कोचिंग के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि को 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कफोटा में इलैक्ट्रीशियन तथा मकैनिक डीज़ल और जिला सिरमौर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिलाई में पलम्बर तथा इलैक्ट्रीशियन के नए ट्रेड शुरू करने को मंजूरी प्रदान की। इन संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों के सृजन और भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में ग्राम पंचायत खजियार के लोगों की सुविधा के लिए जिला चम्बा की पुलिस पोस्ट दराडा से हटाकर पुलिस स्टेशन चम्बा सदर के तहत अस्थाई पुलिस पोस्ट सुलतानपुर में शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने जिला न्यायायिक प्रणाली की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के प्रशासन में न्यायालय प्रबंधक के 13 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में डॉ. वाय.एस परमार बागवानी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन में विभिन्न श्रेणियों के 15 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए दैनिक भोगी आधार पर चालक के 11 पद भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने बागवानी विभाग में दैनिक भोगी आधार पर चालक के 4 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से पी.जी.टी (राजनीतिक विज्ञान) का एक पद व टी.जी.टी (कम्प्यूटर विज्ञान) का एक पद सृजित करने व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित होंगे प्रदेश के लाखों किसान:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने एन.डी.ए-2 की पहली मंत्रिमंडल बैठक में आम जनता के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने का निर्णय वर्ष 2022 तक किसान समुदाय की आय को दौगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से देशभर के 14.5 करोड़ से भी अधिक कृषकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों किसान भी इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रदेश के सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये प्रदान किए जाएगें।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए पेंशन योजना को स्वीकृत करना का एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत सभी दुकानदारों, परचून व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु के उपरांत तीन हजार रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि यह विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में शामिल होगी।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए उस निर्णय की भी प्रशंसा की जिसमें केन्द्रीय सशस्त्र बलों में तैनात जवानों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का दायरा बढ़ाते हुए उसमें राज्य पुलिस के उन जवानों के बच्चों को भी शामिल किया है जिनकी मृत्यु किसी आतंकवादी या नक्सली हमलें में हुई हो।

ठेकेदारों की क्षमता निर्माण के लिए कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। ठेकेदारों की क्षमता निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के निर्माण भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं मुख्यमंत्री के गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय कुंडू ने की। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ठेकेदारों का क्षमता निर्माण तथा अनुबन्ध संबंधी समस्याओं के बारे में चर्चा करना था।

इस कार्यशाला में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता, सभी मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ताओं सहित प्रदेश के सभी भागों में कार्य कर रहे ग्रेड-ए और ग्रेड-बी के ठेकेदार उपस्थित थे। इस कार्यशाला में वित्त, मशीनरी, श्रमिक, इंजीनियरिंग स्पोर्ट, बिलों की अदायगी, रेत एवं बजरी की उपलब्धता संबंधी खनन मुद्दो, समयबद्ध एवं गुणवता नियंत्रण के लिए प्रोत्साहन पर भी खुली चर्चा की गई।

ठेकेदारों ने इस कार्यशाला में माल एवं सेवा कर(जीएसटी), क्रशर के बिलों में रॉयल्टी शुल्क में कटौती, सीमेंट एवं तारकोल की कमी तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर बिलों का समय पर भुगतान जैसे मुद्दे उठाए। विस्तृत चर्चा के उपरान्त विभाग ने ठेकेदारों को आश्वासन दिया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए इन्हें उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। अध्यक्ष ने इस कार्यशाला में गुणवत्तायुक्त कार्यों पर बल दिया और ठेकेदारों को उनके कार्य स्थलों पर साईट इंजीनियरों के माध्यम से श्रमिकों को अनुबन्ध के आधार पर दिए जाने वाले लाभ सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने जीएसटी के सभी मुद्दों पर आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने एवं इंजीनियरों, ठेकेदारों तथा लेखा अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित करने का सुझाव दिया।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता ने तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से इंजीनियरों तथा ठेकेदारों के कुशल कामगारों को क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने की पेशकश की। उन्होंने एक सॉफटवेयर विकसित करने का भी सुझाव दिया, जिसके माध्यम से ठेकेदारों को काम दिया जा सके और उनकी प्रगति की ऑनलाईन निगरानी की जा सके।

बेहतर जलापूर्ति से बढ़ा शिमला में पर्यटक

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शिमला शहर में मई, 2018 में जल संकट का सामना करना पड़ा, जब पानी की आपूर्ति 28 एमएलडी तक कम हो गई थी और मई, 2018 के अन्तिम 10 दिनों में शिमला को पम्प किया गया औसतन पानी घट कर 20 एमएलडी रहा, जबकि मई, 2019 में सरकार के प्रयासों शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) द्वारा 50 एमएलडी पानी को पम्प किया गया। इसके अलावा, सप्ताहांत के दौरान पर्यटकों के आगमन पर पानी की आपूर्ति को पूर्ण क्षमता तक बढ़ाया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि शिमला में पिछले वर्ष मई में सभी निर्माणाधीन कार्यों के कनेक्शनों को बंद किया गया और पानी के नए कनेक्शनों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया था। यहां तक कि शिमला में पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिचाई के पानी की आपूर्ति को भी बन्द कर दिया था। मई 2018 की तुलना में इस वर्ष किसी भी निर्माणाधीन कार्य के लिए कनेक्शन बंद नही किया गया और सभी निर्माण गतिविधियों को शिमला में अनुमति दी गई है। मई, 2019 में आमजन को नए कनेक्शन देने शुरू कर दिए गए। इस वर्ष कभी भी सिंचाई के लिए पानी बन्द नहीं किया गया तथा मई के महीने में एसजेपीएनएल द्वारा दैनिक जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई। मई, 2019 में शिमला में किसी भी प्रकार की पानी की कमी महसूस नही हुई।

उन्होंने कहा कि शिमला शहर में पानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए शिमला शहर को जलापूर्ति प्रदान करने वाले सार्वजनिक नल और भण्डारण टैंकों से प्रतिदिन 20 नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में शिमला के सभी क्षेत्रों के निवासियों को पानी के संकट से राहत दी गई और इससे शिमला में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन लाईन पर उठी सीबीआई जांच की मांग

एसडीएम, डीसी बिलासपुर से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव वन और पावर की भूमिकायें सन्देह के घेरे में

शिमला/शैल। 800 मैगावाट के कोलडैम जल विद्युत परियोजना की ट्रांसमिशन लाईन बिछाने को लेकर प्रभावित क्षेत्रों के लोगों में सरकार और ट्रांसमिशन कंपनी पी के डी टी सी प्रा0 लि0 के खिलाफ स्थानीय लोगों में भारी रोश व्याप्त है। प्रभावित लोगों ने पिछले दिनों शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया है कि यह लाईन 440 केवी की बिछाते हुए कंपनी ने न केवल स्थानीय लोगों के साथ ही दादागिरी की है बल्कि पर्यावरण वन और विद्युत अधिनियमों की भी अनदेखी की है। लोगों ने आरोप लगाया है इस पूरे प्रकरण में जिलाधीश और एस डी बिलासपुर के साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव वन और पावर की भूमिकाएं भी सन्देह की भूमिका में है। प्रभावित लोगों ने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है।

स्मरणीय है कि जब यह ट्रांसमिशन लाईन बिछाने के लिये कंपनी ने प्राईवेट लोगों की ज़मीनों पर यह काम शुरू किया तब प्रभावित लोगों को इसका ज्ञान हुआ। क्योंकि प्रभावितों के मुताबिक उनकी अनुमति के बिना ही उनकी ज़मीनों पर यह काम शुरू कर दिया गया। इसको लेकर लोगों ने रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल धीरू भाई अंबानी, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और उसकी सहयोगी कंपनी पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन प्राईवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज और अन्य के खिलाफ सीआपीसी की धारा 156(3) के माध्यम से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी, 145, 351, 464, 467, 468, 405, 415, 416, 417, 422, 420, 452, 283, 271, 341, 379, 392, 506, 148, 166 के अतिरिक्त पर्यावरण की धारा 14 भारतीय वन अधिनियम की धारा 41 व 42 के तहत मामले दर्ज करवाये थे। जब यह मामले दर्ज हुए और इन पर कारवाई शुरू हुई तब इन मामलों को रद्द करवाने के लिये अनिल अंबानी और उनकी कंपनी ने प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। यह याचिका आने के बाद उच्च न्यायालय की जस्टिस राजीव शर्मा की पीठ ने पुलिस जांच स्टे कर दी थी।

पुलिस जांच स्टे होने के बाद उच्च न्यायालय में यह मामला चलता रहा। इस दौरान 29-8-2017 और 3-10-2017 को उच्च न्यायालय ने इसमें यह टिप्पणीयां करते हुए यह निर्देश जारी किये थे 29.08.2017: "Perusal of communication dated 28.10.2015, available at Page-71 of CrMMO No. 33 of 2016, suggests that Committee, constituted to inquire into the allegations having been made by the residents of area, submitted its report to the Deputy Commissioner, Bilaspur. Perusal of report, referred to above, suggests that various permissions as required under law, were not taken by the Parbati Koldam Transmission Company Limited (PKTCL), before laying transmission lines. This Court was unable to lay its hands on document, if any, suggestive of the fact that, action, if any, pursuant to report submitted by the Committee, was ever taken by the Deputy Commissioner, Bilaspur.

In the aforesaid background, this Court deems it fit to direct the Deputy Commissioner, Bilaspur to file his personal affidavit specifically indicating therein the action taken pursuant to report submitted by the Committee, vide communication dated 28.10.2005. Affidavit, as stated above, shall be filed by the Deputy Commissioner, Bilaspur, within a period of four weeks from today. An authenticated copy of this order be supplied to the learned Additional Advocate General, for necessary compliance by Deputy Commissioner, Bilaspur.

List on 3.10.2017."

03.10.2017: "Sequel to order dated 29.8.2017, Deputy Commissioner, District Bilaspur, has filed his personal affidavit, perusal whereof suggests that the then Deputy Commissioner, Bilaspur, after having received a joint complaint dated 20.1.2015, constituted a Fact Finding Committee comprising of Sub-Divisional Magistrate Sadar, District Bilaspur (Chairman), Divisional Forest Officer, Forest Division Bilaspur and Deputy Superintendent of Police (D.S.P. Headquarter) Bilaspur, vide order dated 29.1.2015 with the direction to submit a comprehensive report within a period of twenty days. It also emerge from the averments contained in the affidavit that subsequently, vide order dated 30.3.2015, Assistant Conservator Forest, Bilaspur, was also included as member in the aforesaid committee in place of DFO Bilaspur. Above referred Committee submitted its joint report through SDM Sadar, District Bilaspur vide letter No. BLS-SDMSDR/ 2015-8839 dated 28.10.2015. The Then Deputy Commissioner after having perused report of fact finding committee forwarded the same to the Additional Chief Secretary (Forest) to the Government of Himachal Pradesh and to the Additional Chief Secretary (Power) to the Government of Himachal Pradesh vide office letter No. BLS-Peshi-15(3)92-III-57321-22 dated 29.12.2015, with the following request:-

"i) Action may kindly be initiated against the PKTCL company officers/officials for violation of the provision of Electricity Act, 2003 and Indian Telegraph Act, 1885 as stated above and nonadherence of parameters of Revenue, Horticulture, Agriculture and Forest Department for providing adequate compensation. ii) As observed by the Committee, the matter may kindly be taken up with the Government of India for streamlining the process for providing compensation in such major projects of national importance."

2. It is quite apparent from the aforesaid communication that officials of PKTCL Company while erecting towers on the land of various stakeholders failed to comply with the provisions of Electricity Act, 2003 and Indian Telegraph Act, 1985 and as such, the Deputy Commissioner recommended the action against the officials of PKTCL Company.

3. After having carefully perused the aforesaid affidavit filed by the Deputy Commissioner, it is not discernable wh29.08.2017: "Perusal of communication dated 28.10.2015, available at Page-71 of CrMMO No. 33 of 2016, suggests that Committee, constituted to inquire into the allegations having been made by the residents of area, submitted its report to the Deputy Commissioner, Bilaspur. Perusal of report, referred to above, suggests that various permissions as required under law, were not taken by the Parbati Koldam Transmission Company Limited (PKTCL), before laying transmission lines. This Court was unable to lay its hands on document, if any, suggestive of the fact that, action, if any, pursuant to report submitted by the Committee, was ever taken by the Deputy Commissioner, Bilaspur.

In the aforesaid background, this Court deems it fit to direct the Deputy Commissioner, Bilaspur to file his personal affidavit specifically indicating therein the action taken pursuant to report submitted by the Committee, vide communication dated 28.10.2005. Affidavit, as stated above, shall be filed by the Deputy Commissioner, Bilaspur, within a period of four weeks from today. An authenticated copy of this order be supplied to the learned Additional Advocate General, for necessary compliance by Deputy Commissioner, Bilaspur.

List on 3.10.2017."

03.10.2017: "Sequel to order dated 29.8.2017, Deputy Commissioner, District Bilaspur, has filed his personal affidavit, perusal whereof suggests that the then Deputy Commissioner, Bilaspur, after having received a joint complaint dated 20.1.2015, constituted a Fact Finding Committee comprising of Sub-Divisional Magistrate Sadar, District Bilaspur (Chairman), Divisional Forest Officer, Forest Division Bilaspur and Deputy Superintendent of Police (D.S.P. Headquarter) Bilaspur, vide order dated 29.1.2015 with the direction to submit a comprehensive report within a period of twenty days. It also emerge from the averments contained in the affidavit that subsequently, vide order dated 30.3.2015, Assistant Conservator Forest, Bilaspur, was also included as member in the aforesaid committee in place of DFO Bilaspur. Above referred Committee submitted its joint report through SDM Sadar, District Bilaspur vide letter No. BLS-SDMSDR/ 2015-8839 dated 28.10.2015. The Then Deputy Commissioner after having perused report of fact finding committee forwarded the same to the Additional Chief Secretary (Forest) to the Government of Himachal Pradesh and to the Additional Chief Secretary (Power) to the Government of Himachal Pradesh vide office letter No. BLS-Peshi-15(3)92-III-57321-22 dated 29.12.2015, with the following request:-

"i) Action may kindly be initiated against the PKTCL company officers/officials for violation of the provision of Electricity Act, 2003 and Indian Telegraph Act, 1885 as stated above and nonadherence of parameters of Revenue, Horticulture, Agriculture and Forest Department for providing adequate compensation. ii) As observed by the Committee, the matter may kindly be taken up with the Government of India for streamlining the process for providing compensation in such major projects of national importance."

2. It is quite apparent from the aforesaid communication that officials of PKTCL Company while erecting towers on the land of various stakeholders failed to comply with the provisions of Electricity Act, 2003 and Indian Telegraph Act, 1985 and as such, the Deputy Commissioner recommended the action against the officials of PKTCL Company.

3. After having carefully perused the aforesaid affidavit filed by the Deputy Commissioner, it is not discernable whether action, if any, was taken by the Additional Chief Secretary (Power) and Additional Chief Secretary (Forest) pursuant to aforesaid recommendation made by the Deputy Commissioner.

4. Accordingly, in view of the above, Additional Chief Secretary (Forest) and Additional Chief Secretary (Power) to the Government of Himachal Pradesh, are directed to file their personal affidavits specifically, indicating therein action/steps, if any, taken by them pursuant to aforesaid communication sent by the Deputy Commissioner (Bilaspur), within a period of three weeks.

5. Authenticated copy be supplied to the learned Additional Advocate General so that necessary compliance is made within the stipulated period."ether action, if any, was taken by the Additional Chief Secretary (Power) and Additional Chief Secretary (Forest) pursuant to aforesaid recommendation made by the Deputy Commissioner.

4. Accordingly, in view of the above, Additional Chief Secretary (Forest) and Additional Chief Secretary (Power) to the Government of Himachal Pradesh, are directed to file their personal affidavits specifically, indicating therein action/steps, if any, taken by them pursuant to aforesaid communication sent by the Deputy Commissioner (Bilaspur), within a period of three weeks.

5. Authenticated copy be supplied to the learned Additional Advocate General so that necessary compliance is made within the stipulated period."

अब यह मामला उच्च न्यायालय में जस्टिस चन्द्र भूषण बारोवालिया की पीठ में सुनवाई के लिये लगा था। जस्टिस बारोवालिया ने एफआईआर रद्द करने की याचिकाओं को खारिज करते हुए विस्तृत पुलिस जांच के आदेश दिये हैं। अदालत ने साफ कहा है कि Thus, it is crystal clear that PKTCL Company was granted licence for 25 (twenty five) years only. The Fact Finding Committee found many irregularities in the execution of the work. The Committee found that the officials of PKTCL Company while erecting towers on the land of various stakeholders failed to comply with the provisions of Electricity Act, 2003 and Indian Telegraph Act, 1985 and as such, the Deputy Commissioner recommended the action against the officials of PKTCL Company. The learned counsel for respondents No. 4 to 6 (Cr.MMO No. 33 of 2016) has argued that initially PKTCL Company was BOOT (Built, Operate and Transfer Company) and after grant of licence on 15.09.2008 it became BOO (Built, Operate and Own), if it is so, now the Company has become owner of the transmission line. In view of the above contention, learned Court below has to see whether in the above circumstances the provisions of Electricity Act, 2003 and Indian Telegraph Act, 1985, are not applicable and PKTCL Company or its officers/officials were authorized to go inside the private property without permission of the landlord, however, it is left open to be adjudicated upon by the learned Trial Court. At this stage, this Court, after analyzing the available material, finds that there exists a prima facie case for registration of FIRs against the PKTCL Company and the petitioners.

परिवहन निगम के पैंशनर आन्दोलन की राह पर

शिमला/शैल। हिमाचल राज्य पथ परिवहन निगम प्रदेश में परिवहन सेवायें प्रदान करने वाला सबसे बड़ा अदारा है। इसमें नियमित और अनुबन्ध आधार पर करीब दस हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। यह कर्मचारी निगम को प्रतिदिन करीब तीन करोड़ का राजस्व अर्जित करके दे रहे हैं। यह दावा निगम सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र पाल ने किया है। छः हजार सेवानिवृत कर्मचारियों के इस संगठन का आरोप है कि इन लोगों को पैन्शन का भुगतान समय पर नही हो रहा है। समय पर यह भुगतान न होने से इन कर्मचारियों को आज भूखमरी तक का शिकार होना पड़ रहा है। एचआरटीसी प्रबन्धन से इस बारे में कई बार बातचीत हो चुकी है। लेकिन समस्या का कोई हल नही हो पाया है। परिवहन मंत्री से मिलने और बात करने के सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। करीब तीन माह पहले मुख्यमन्त्री के सामने भी यह समस्या रखी थी लेकिन आश्वासन के अतिरिक्त कुछ नही मिल पाया है। सरकार और प्रशासन की इस बेरूखी के बाद संगठन ने 14-6-19 से निगम मुख्यालय के बाहर धरना देने का फैसला लिया है। यदि सरकार और प्रशासन पर इसका कोई असर न हुआ तो आगे चलकर इस आन्दोलन को आमरण अनशन में बदल दिया जायेगा।सेवानिवृत कर्मचारियों का आरोप है पैन्शन निमयों के अनुसार सेवानिवृत कर्मचारियों के सेवानिवृत लाभों का भुगतान तीन माह के भीतर हो जाना चाहिये लेकिन दो-दो साल इसमें लग रहे हैं। पैन्शन लगने में तो तीन-तीन साल लग रहे हैं। सरकार और बीओडी के निर्णय के अनुसार प्रतिदिन की आय का 7% पैन्शनर ट्रस्ट में जमा हो जाना चाहिये। लेकिन इसमें कितना पैसा जमा हो रहा है। इसकी कोई जानकारी नही है जबकि निगम को प्रतिदिन 2.50 से 3 करोड़ का राजस्व मिल रहा है। यही नही कर्मचारियों का अपना जीपीएफ भी समय पर नही दिया जा रहा है। बल्कि यह आरोप है कि निगम जीपीएफ को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा ही नही करवा रहा है। एक बार कर्मचारी जीपीएफ को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा भी चुके हैं तब यह राशी 75 करोड़ थी। अदालत ने तत्कालीन एमडी दलजीत डोगरा को इस पर कड़ी फटकार लगायी थी और आपराधिक मामला चलाने तक की चेतावनी दी थी। तब तीन किश्तों में इस राशी का भुगतान किया गया था। आज यह राशी सौ करोड़ से भी अधिक हो चुकी है और यह पता नही है कि निगम ने यह पैसा जीपीएफ में जमा भी करवाया है या नही। या फिर इसका उपयोग कहीं और हो रहा है।

कर्मचारियों का आरोप है कि 2013 के बाद आज तक पैन्शन का भुगतान तय समय पर नही हो पाया है बल्कि इसके लिये कोई तारीख ही निगम तय नही कर पायी है। इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि प्रतिदिन करोड़ का राजस्व अर्जित करने वाली परिवहन निगम पैन्शन का समय पर भुगतान क्यों नही कर रही है और सौ करोड़ का जीपीएफ सुरक्षित खाते मे क्यों जमा नही है।